breakthrough

unicef
unite for children

मॉड्यूल 6

लैंगिक हिंसा : किशोरवय के लिए यह क्यों मायने रखती है?

अध्यापकों, समुदाय, तथा फील्ड कर्मचारियों के लिए रेडी रेकनर

किशोरवय सशक्तिकरण टूलकिट

© यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रेंस फंड (यूनिसेफ)
© ब्रेकथ्रू

इस प्रकाशन को शिक्षा या लाभ रहित उद्देश्य हेतु पुनः उत्पादन कॉपीराइट धारक के अनुमति के बिना किया जा सकता है यदि इसके स्त्रोत को मान दें।

इंगित संसकरणः
“किशोरवय सशक्तिकरण टूलकिट” 2016, नई दिल्ली : यूनिसेफ एवं ब्रेकथ्रू
यूनिसेफ एवं ब्रेकथ्रू को ऐसे प्रतिलिपि को पाकर खुशी होगी जो इस प्रकाशन को स्त्रोत के तौर पर इस्तेमाल कर रहें हों।

यदि इस प्रकाशन को किसी भी व्यावसायिक प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है तो लिखित में अनुमति की जरूरत पड़ेगी।

अनुमति एवं अन्य सवालों के लिए संपर्क करें:
newdelhi@unicef.org

सामनेवाले कवर का फोटो
© Breakthrough/India

© Breakthrough/India

मॉड्यूल 6

लैंगिक हिंसा : किशोरवय के लिए यह क्यों मायने रखती है?

लैंगिक हिंसा : किशोरवय के लिए यह क्यों मायने रखती है? - अध्यापकों, समुदाय, तथा फील्ड कर्मचारियों के लिए रेडी रेकनर है, जिसमें इस मुद्दे के तथ्य, आधारभूत जानकारी, तथा लैंगिक हिंसा व किशोरवय पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए एक अंतरक्षेत्रीय तरीका अपनाने के बारे में जानकारी दी गई है।

विषय सूची

यूनिसेफ के बारे में	पृष्ठ 2
ब्रेकथ्रू के बारे में	पृष्ठ 3
लैंगिक हिंसा पर यह रेडी रेकनर क्यों	पृष्ठ 5
इस रेकनर का उपयोग कौन कर सकता है?	पृष्ठ 6
अनुभाग	पृष्ठ 7
अनुभाग 1 - लैंगिक हिंसा : संदर्भ तय करना	पृष्ठ 8
अनुभाग 2 - किशोरवय और लैंगिक हिंसा के बारे में आंकड़े क्या दर्शाते हैं?	पृष्ठ 10
अनुभाग 3 - लैंगिक हिंसा के कारण, तथा इसके प्रभाव कौन से हैं?	पृष्ठ 13
अनुभाग 4 - किशोरवय सशक्तिकरण और लैंगिक हिंसा के बारे में हस्तक्षेप अधिक प्रभावी कैसे बनाए जा सकते हैं?	पृष्ठ 18
अनुभाग 5 - किशोरवय द्वारा लैंगिक हिंसा की रिपोर्ट करने पर क्या करें और किससे संपर्क करें?	पृष्ठ 25
किशोरवय के अधिकारों का संरक्षण करने की दिशा में कार्य करने वाले राष्ट्रीय संदर्भ संगठनों/संस्थावनों की सूची	पृष्ठ 28
संदर्भ	पृष्ठ 30

© Breakthrough/India

यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रेंस फंड (यूनिसेफ)

190 देशों और क्षेत्रों में बच्चों को बचपन से लेकर किशोरावस्था तक उनके जीवन का बचाव और उसके पनपने के लिए कार्य करती है। विकासशील देशों को दुनिया के सबसे बड़े टीका प्रदाता के रूप में कार्य करते हुए यूनिसेफ बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण, अच्छा जल एवं सौच सुविधा, सभी बच्चों के लिए गुणवत्ता पूर्ण बुनियादि शिक्षा तथा हिंसा, शोषण और एड्स से रक्षा करती है। यूनिसेफ पूर्णतया व्यक्तियों, व्यापार संस्थानों और सरकारों द्वारा स्वेच्छा से दिये गए वित्तिय योगदान से पोषित है।

www.unicef.in

/unicefindia
@UNICEFIndia

United Nations Children's Fund, 73 Lodi Estate, New Delhi 110 003, India
☎ 91-11-24690401   91-11-24627521

✉ newdelhi@unicef.org

ब्रेकथ्रू एक मानवाधिकार संस्था है

जो महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ होने वाली हिंसा और भेदभाव को समाप्त करने के लिए काम करती है। कला, मीडिया, लोकप्रिय संस्कृति और सामुदायिक भागीदारी से हम लोगों को एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिसमें हर कोई सम्मान, समानता और न्याय के साथ रह सके।

हम मल्टीमीडिया अभियानों के माध्यम से इन मुद्दों को मुख्य धारा में ला रहे हैं। इसे देश भर के समुदाय और व्यक्तियों के लिए प्रासंगिक बना रहे हैं। इसके साथ ही हम युवाओं, सरकारी अधिकारियों और सामुदायिक समूहों को प्रशिक्षण भी देते हैं, जिससे एक नई ब्रेकथ्रू जनरेशन सामने आए जो अपने आस-पास की दुनिया में बदलाव ला सके।

www.inbreakthrough.tv

/BreakthroughIN
@INBreakthrough

E-1A, First Floor, Kailash Colony, New Delhi 110 048, India
☎ 91-11-41666101 🖷 91-11-41666107

✉ contact@breakthrough.tv

© UNICEF/India /Halle'n

लैंगिक हिंसा पर यह रेडी रेकनर क्यों?

हाल के वर्षों में, लैंगिक हिंसा (जीबीवी/GBV) को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सरोकारों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 1990 के दशक के मध्य से कुछ देशों में छोटे कार्यक्रमों के रूप में शुरूआत होने के साथ, GBV रोकथाम कार्यक्रम तथा पीड़ितों को आधारभूत देखभाल और समर्थन प्रदान करने वाले हस्तक्षेप अस्तित्व में रहे हैं।

हालांकि जहां GBV की तरफ अंतर्राष्ट्रीय ध्यानाकर्षण में काफी वृद्धि हुई है, वहीं GBV कार्यक्रमों के बारे में आंकड़े तथा अच्छी प्रविधियों के बारे में समझ का अभाव तथा इस बारे में सहमति का अभाव बना रहा है कि GBV अवधारणा और शब्दावली को किस तरह से प्रयोग किया जाए। 'लैंगिक हिंसा' शब्द की व्याख्या अनेक प्रकार से की जा सकती है और इसलिए इसके समाधान की दिशा में काम करने वाले कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। अधिक महत्त्वपूर्ण रूप में, GBV को समझने के लिए एक अंतरक्षेत्रीय तरीके तथा कार्यक्रमों में इसे प्रयोग करने का गंभीर रूप से अभाव बना रहा है। इसके अलावा, किशोरवय पर कार्यक्रमों में अनिवार्य केंद्रीकरण नहीं किया जाता, क्योंकि प्रायः उनको पुरूषों और महिलाओं की समग्र श्रेणी के अंदर शामिल कर लिया जाता है। किशोरवय को एक विशेष असुरक्षित समूह मानकर व्यवहार करना, GBV के प्रति उनके जोखिम कम करने की दिशा में बहुत मायने रखता है इसलिए कार्यक्रम उनकी विशेष जरूरतों तथा असुरक्षित स्थितियों के समाधानों पर केंद्रित होने चाहिए।

कार्यकर्ताओं को लैंगिक हिंसा, इसके कारणों तथा प्रभावों के बारे में मौजूदा आंकड़े/जानकारी प्रदान करना तथा हस्तक्षेप डिजाइन करने, योजना बनाने, तथा कार्यान्वित करने के लिए मुख्य आरंभिक बिंदुओं के रूप में इस ज्ञान का उपयोग करना, इस रेडी रेकनर का उद्देश्य है। एक जटिल सामाजिक मुद्दे का संश्लेषण, तथा लैंगिक हिंसा, व अन्य सामाजिक मुद्दों से इसका आपसी संबंध समझने के लिए 'व्यावहारिक दस्तावेज' बनना ही इस दस्तावेज की उपयोगिता है। यह बारीक समझ, इस मुद्दे की जटिलता के समाधान हेतु उचित हस्तक्षेप डिजाइन करने के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है।

इस रेकनर का उपयोग कौन कर सकता है?

इस रेकनर का उपयोग अध्यापकों, NGO, CSO और CBO प्रतिनिधियों द्वारा उनके हस्तक्षेप के क्षेत्रों में लैंगिक हिंसा का समाधान करने के लिए नियोजन रणनीतियों, मुख्य आरंभिक बिंदुओं तथा गतिविधियों में किया जा सकता है। इस रेकनर को 5 अनुभागों में बांटा गया हैः अनुभाग 1 में संदर्भ तय करते हुए मुद्दे का परिचय दिया गया है; अनुभाग 2 में भारत से संबंधित विशिष्ट आंकड़े दिए गए हैं जो मुद्दे का प्रचलन और जटिलता दर्शाता है। अनुभाग 3 में लैंगिक हिंसा के अंतर्निहित कारकों, इसके कारणों व परिणामों का विश्लेषण किया गया है जबकि अनुभाग 4 में अनुशंसाएं/संभावित आरंभिक बिंदु दिए गए हैं जो लैंगिक हिंसा के समाधान हेतु हस्तक्षेपों की योजना बनाने व लागू करने वालों द्वारा कारगर ढंग से उपयोग किए जा सकते हैं। उपसंहार करते हुए अनुभाग 5 में लैंगिक हिंसा के पीड़ितों की ज़रूरतों के समाधान के लिए कार्यक्रमों हेतु सूचनाएं/सेवाएं प्राप्त करने के लिए 'क्या करें' और 'कहां जाएं' पर आधारित त्वरित और व्यावहारिक जानकारी दी गई है।

अनुभाग

अनुभाग

1

लैंगिक हिंसा : संदर्भ तय करना

लैंगिक हिंसा (जीबीवी) विश्व में एक सबसे प्रचलित मानवाधिकार उल्लंघन है। इसकी कोई सामाजिक, आर्थिक, या राष्ट्रीय सीमाएं नहीं होतीं। यह पीड़ितों के स्वास्थ्य, गरिमा, सुरक्षा तथा स्वायत्तता को नुकसान पहुंचाती है, फिर भी यह मौन की संस्कृति में छिपी रहती है। इसके प्रभाव बहुआयामी होते हैं-शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक। यद्यपि पुरूष और महिलाएं दोनों ही अपने सामाजिक लिंग की वजह से हिंसा का सामना कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक लिंग आधारित कठोर विभेद तथा असमान शक्ति संबंधों की वजह से महिलाएं व लड़कियां इसके प्रति खासतौर से असुरक्षित होती हैं।

महिलाओं की श्रेणी के अंदर भी, अनेक सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों की वजह से किशोरियां एक विशेष असुरक्षित समूह होती हैं।

विश्व के अनेक भागों में क्रियान्वित किशोरवय कार्यक्रमों से अनुभाविक साक्ष्य, लड़कियों के स्वास्थ्य तथा बेहतरी के प्रति अनेक खतरों की पुष्टि करते हैं जो दीर्घकालीन तथा आकस्मिक सामाजिक बलों से संबंधित होते हैं।

लैंगिक हिंसा क्या है?

मानवतावादी परिवेशों में लैंगिक हिंसा हस्तक्षेपों के लिए IASC दिशानिर्देश-जीबीवी को निम्नानुसार पारिभाषित करते हैं:

'किसी हानिकारक कृत्य के लिए एक सामूहिक शब्द, जो किसी व्यक्ति की इच्छा के खिलाफ उसके साथ किया गया हो और जो पुरूषों तथा महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से आरोपित (लैंगिक) अंतरों पर आधारित हो।'

जहां पुरूष और लड़के, जीबीवी (विशेषकर यौन हिंसा) के प्रति असुरक्षित हो सकते हैं, वहीं पुरूषों और लड़कों की तुलना में महिलाओं और लड़कियों पर जीबीवी का अधिक प्रभाव पड़ता है। लैंगिक हिंसा शब्द, इन प्रकार के कृत्यों के लैंगिक आयाम रेखांकित करता है; दूसरे शब्दों में, समाज में महिलाओं के निम्नस्तरीय दर्जे, तथा हिंसा के प्रति उनकी बढ़ी हुई असुरक्षित दशा के बीच संबंध।

जीवनचक्र के दौरान लैंगिक हिंसा

चरण	मौजूदा हिंसा के प्रकार
जन्म से पहले	जेंडर आधारित लिंग चयन (चीन, भारत, कोरिया गणतंत्र), गर्भावस्था के दौरान पिटाई (महिलाओं पर भावनात्मक और शारीरिक प्रभाव, भावी शिशु पर प्रभाव), अत्याचार के कारण गर्भधारण (उदाहरण के लिए, युद्ध में सामूहिक बलात्कार)
शैशव गुण	कन्या हत्या, भावनात्मक तथा शारीरिक दुर्व्यवहार, बालिका शिशुओं से भोजन उपलब्धता तथा चिकित्सा देखभाल के मामले में भेदभाव
बालिकाओं का बचपन	बाल/शीघ्र विवाह, यौनांग उच्छेदन, पारिवारिक सदस्यों तथा अजनबियों द्वारा यौन दुर्व्यवहार, भोजन. शिक्षा तथा चिकित्सा देखभाल तक पहुंच में भेदभाव, बाल वेश्यावृत्ति
किशोरावस्था	प्रेम प्रसंग (डेटिंग) और कोर्टशिप हिंसा (उदाहरण के लिए, भारत और बांग्लादेश में तेजाब फेंकने की घटनाएं, अमेरिका में डेट के दौरान बलात्कार), आर्थिक उत्पीड़न द्वारा सेक्स (अफ्रीकी माध्यमिक स्कूलों की लड़कियों को 'शुगर डैडी' से संबंध बनाने के लिए कहा जाता है जो उनकी स्कूली फीस भरते हैं), यौन दुर्व्यवहार, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, बलात वेश्यावृत्ति, महिलाओं की तस्करी
युवा तथा अधेड़ावस्था	घनिष्ठ पुरुष साथियों द्वारा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, वैवाहिक बलात्कार, दहेज उत्पीड़न तथा हत्याएं, साथी हत्या, मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार, कार्यस्थल पर यौन दुर्व्यवहार, यौन उत्पीड़न, बलात्कार, निःशक्त महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार
बुजुर्ग	विधवाओं के साथ दुर्व्यवहार, बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार (संयुक्त राज्य में, एकमात्र देश जहां के आंकड़े अभी उपलब्ध है, बुजुर्गों के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार में महिलाएं अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित होती हैं)

स्रोतः लोरी एल. हीज, जैक्लीन पिटानगे एंड एड्रीन जर्मेन, वायलेंस अगेंस्ट वूमेनः दि हिडेन हेल्थ बर्डन, वर्ल्ड बैंक डिस्कशन पेपर नं. 255, 1994

कुछ पुरानी विधियां, जैसे कि महिलाओं को श्रम बाज़ार से बाहर कर दिया जाना, या लड़कियों का अपेक्षाकृत अधिक आयु के पुरुषों से बाल/शीघ्र विवाह कर देना, लिंग सत्ता असमानताओं में योगदान देती हैं जो लैंगिक हिंसा की जड़ है। इस दौरान, सामाजिक और आर्थिक दशाओं में सकारात्मक बदलावों, जिनके कारण लड़कियों के द्वारा शिक्षा पूरी करने तथा औपचारिक श्रम बाज़ारों में भागीदारी करने में वृद्धि हुई है, का भी लिंग सत्ता गतिकी पर अप्रत्याशित नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कार्यस्थल पर नियोक्ताओं द्वारा यौन उत्पीड़न के प्रति असुरक्षा, या सार्वजनिक स्थानों पर यौन उत्पीड़न के बढ़ते मामले, इसमें शामिल हैं।[1]

भारत में अनेक सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य कारक, किशोरवय की पूर्ण तथा उत्पादक जीवन जीने की क्षमता को बाधित करते हैं। भारत में किशोरवय की बड़ी तादाद (242 मिलियन)- जो कि देश की जनसंख्या का लगभग 20% है, को देखते हुए यह विशेष रूप से चिंता का विषय है।[2] देश में किशोरियों की स्थिति का आकलन इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 47% कम वजन वाली तथा 56% एनीमिया से ग्रस्त[3] हैं। देश के अनेक भागों में लड़कियों को 'बोझ' समझा जाता है और बहुत कम उम्र से ही उन्हें विवाह के लिए 'तैयार किया' जाने लगता है। समाज में महिलाओं की भूमिका को लेकर सोच, लड़कियों को दी जाने वाली अहमियत, संरचनागत तथा आर्थिक कारक आदि सभी चीजें, किशोरियों के विसशक्तिकरण में विशेष रूप से योगदान करती हैं।

किशोरवय अपने जीवन पर जो सीमित नियंत्रण प्राप्त करते हैं, वह वयस्क होने की ओर उनके बढ़ने के दौरान उन्हें दीर्घकालिक रूप से प्रभावित करता है। किशोरवय से वयस्कता की ओर सुगम रूपांतरण सहज बनाने के लिए, यह अनिवार्य है कि सुरक्षित मंचों और ऐसे सुविधाजनक वातावरण के निर्माण को बढ़ावा दिया जाए जहां किशोरवय अपने जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में निर्णयों में भागीदारी कर सकें। व्यापक रूप से यह माना जाता है कि किशोरवय को समुचित ज्ञान से सशक्त बनाने से वे सकारात्मक विधियां अपना सकते हैं, निरोधात्मक, उपचारात्मक तथा संरक्षणात्मक सेवाओं तक पहुंच बना सकते हैं और अपने कौशल तथा स्थानीय प्रशासन में भागीदारी बढ़ा सकते हैं।[4] साथ ही, सामुदायिक गेटकीपरों को शामिल करना भी बहुत महत्त्वपूर्ण है, जो व्यक्तिगत, पारिवारिक, तथा सामुदायिक स्तरों पर लिए जाने वाले विविध निर्णयों में किशोरवय की भागीदारी को बढ़ावा दे सकें। किशोरवय की अधिक सहभागिता को बढ़ावा देने हेतु रणनीतियां विकसित व क्रियान्वित करने के लिए, अधिक गहन, बारीक समझ तथा किशोरवय सशक्तिकरण को प्रभावित करने वाले संदर्भ व कारकों से अधिक साक्ष्यों की आवश्यकता है। किशोरवय की असुरक्षित स्थितियां, विशेषकर लैंगिक हिंसा के समाधान को किशोरवय सशक्तिकरण (बाद में चर्चा की गई है) के ढांचे में समझा जाना आवश्यक है।

1. एड्रेसिंग सेक्सुअल एंड जेंडर-बेस्ड वायलेंस (SGBV) अगेंस्ट एडोलसेंट गर्ल्स, प्रोमोटिंग हेल्दी, सेफ, एंड प्रोडक्टिव ट्रांजिशंस टू एडल्टहुड, ब्रीफ नं 38, पापुलेशन काउंसिल, मई 2011
2. स्टेट ऑफ दि वर्ल्ड'स चिल्ड्रेन 2011, एडोलसेंस-एन एज ऑफ अर्पाचुनिटी, UNICEF
3. वही
4. अंडरस्टैंडिंग एडोलसेंट एम्पॉवरमेन्टः ए क्वॉलिटेटिव एक्सप्लोरेशन, पापुलेशन काउंसिल व UNICEF, जुलाई 2014

अनुभाग

2

किशोरवय और लैंगिक हिंसा के बारे में आंकड़े क्या दर्शाते हैं?

भारत में लगभग 240 मिलियन किशोरवय (10-19 वर्ष) हैं, जो यहां की कुल जनसंख्या का लगभग एक-चौथाई भाग हैं। किशोरवय की प्रगति व बेहतरी के मुख्य संकेतक यह इशारा करते हैं कि ऐसी महत्त्वपूर्ण चुनौतियां हैं जिनका समाधान किया जाना आवश्यक है।

इनमें से कुछ संकेतकों में लैंगिक विसंगतियां गंभीर हैं। जनगणना के आंकड़े बच्चों के लिंगानुपात (0-6 आयु समूह) में सतत् गिरावट दर्शाते हैं, 2001 में प्रति 1,000 लड़कों पर 927 लड़कियों की तुलना में 2011 में 914 लड़कियां रह गईं। इसके अलावा, जन्म के एक माह बाद की अवधि में कन्याओं की अत्यधिक मृत्यु स्पष्ट है। अधिकांश देशों में जहां शिशु तथा बाल मृत्यु, केवल जैविक रूप से चालित है, वहां जन्म के प्रथम माह के पश्चात प्रथम वर्ष के दौरान बालिकाओं की मृत्यु, पुरूषों की मृत्यु की अपेक्षा कम है। हालांकि भारत में प्रसवपश्चात नवजात मृत्यु दर (प्रति 1,000 जीवित प्रसवों पर 1-11 माह आयु वाले बच्चों में मौतों की संख्या) बालिकाओं के लिए 21 है, जबकि बालकों के लिए केवल 15 है। इसके अलावा, यद्यपि उच्चतम संपत्ति वर्ग में माताओं से जन्म लेने वाले बच्चों के मामले में प्रसव पश्चात नवजात मृत्यु में बालिका-बालक अंतर सबसे कम है, लेकिन बालिकाओं की प्रतिकूल परिस्थिति समस्त संपत्ति वर्गों में प्रमाणित है। बाल मृत्यु दर (1 वर्ष आयु तक पहुंचने वाले प्रति 1,000 बच्चों के सापेक्ष 1-4 वर्ष आयु वाले बच्चों में मौतों की संख्या) में भी लैंगिक अंतरों का यही पैटर्न देखा जा सकता है। समग्र रूप में भारत में, प्रति 1,000 पर 23 के रूप में बालिकाओं की मृत्यु दर, प्रति 1,000 पर 14 के रूप में बालकों की मृत्यु दर से 61% अधिक है।[5]

इसके अलावा, 18 वर्ष से कम आयु में विवाहित हो जाने वाली महिलाओं का प्रतिशत लगातार बहुत अधिक बना हुआ है। समग्र रूप से, 47.4% या प्रत्येक दो में से एक महिला बालिका वधू थी। सिर्फ आंकड़ों में, भारत में 20-24 वर्ष आयु समूह की कुल महिलाओं (जनगणना 2011) में से 23 मिलियन से अधिक बालिका वधुएं पाई गईं। लड़कियों के शीघ्र विवाह के परिणाम बहुआयामी

5. जेंडर इक्वलिटी एंड वूमेन्स एम्पॉवरमेन्ट इन इंडिया, NFHS 2005-2006

होते हैं जिनमें शीघ्र गर्भधारण, पोषण में कमी का अंतर-पीढ़ीगत हस्तांतरण, शिक्षा तथा आर्थिक सशक्तिकरण हेतु सीमित अवसर आदि शामिल हैं जिनसे मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, यह इशारा करने वाले साक्ष्य भी बढ़ रहे हैं कि 18 वर्ष से पूर्व विवाहित हो जाने वाली लड़कियों द्वारा घरेलू हिंसा का सामना किए जाने की संभावनाएं, देर से विवाह वाली उनकी समकक्ष महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा होती हैं।[6] शीघ्र विवाह के हानिकारक कुप्रभावों के चलते इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि शीघ्र विवाह, भारत में प्रति 100,000 जीवित प्रसवों[7] पर 200 मौतों के ऊंचे मातृत्व मृत्यु अनुपात (एमएमआर) का एक प्रमुख कारण बना हुआ है (जो कि विश्व में एक सर्वाधिक आंकड़ा है)। यदि लड़कियां जीवित भी बच जाती हैं, तो उनके कुपोषित रहने की संभावना अधिक रहती है। 15 से 19 वर्ष आयु की आधी लड़कियां कुपोषित हैं।[8] पूर्ण टीकाकरण के आंकड़ों से भी लैंगिक अंतर परिलक्षित होता है जहां लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का पूर्ण टीकाकरण कराए जाने की संभावना कम रहती है। वास्तव में, NFHS 1 और NFHS 3 के दरम्यान पूर्ण टीकाकरण के बारे में संकलित NFHS आंकड़ों से पता चलता है कि लैंगिक अंतराल न केवल बना रहता है, बल्कि समय के साथ यह बढ़ता जाता है।[9]

बालिकाओं को समान स्पर्धा क्षेत्र उपलब्ध कराने तथा उनके उत्तरवर्ती सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण एक प्रमुख क्षेत्र-शिक्षा, लड़कियों का माध्यमिक स्कूल नामांकन में भी लैंगिक असमानता स्पष्ट है। स्कूल वर्ष 2005-06 में, 6-17 आयु के 71% बच्चे स्कूलों में थे- नगरीय क्षेत्रों में 77% और ग्रामीण क्षेत्रों में 69%।[10] हालांकि 6-17 आयु की केवल 66% लड़कियां स्कूलों में थीं, जबकि इसी आयु वर्ग के लड़कों का प्रतिशत 75% था। 2005-06 स्कूल वर्ष में, स्कूल जाने वाले 6-17 आयु वर्ग के बच्चों का लिंगानुपात प्रति 1,000 लड़कों पर 889 लड़कियों के रूप में था। वास्तव में, प्रति 1,000 लड़कों के तुलना में स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिंगानुपात में गिरावट दिखती है और यह 6-10 आयु समूह में 957 से 11-14 आयु समूह में 884 और फिर 15-17 आयु समूह में केवल 717 तक पहुंच जाता है। यद्यपि 15-17 आयु समूह के बच्चों में स्कूलों की उपस्थिति के आंकड़े लड़कियों और लड़कों दोनों के मामले में कम हैं, लेकिन इस आयु में लड़कों की तुलना में स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों की तादाद अधिक है।[11] हालांकि आयु के आधार पर स्कूल उपस्थिति के आंकड़ों का एक परीक्षण यह प्रकट करता है कि स्कूल उपस्थिति में लैंगिक असमानता व्यापक रूप से एक ग्रामीण परिघटना है। शहरी क्षेत्रों में, प्रत्येक आयु वर्ग में स्कूल जाने वाले लड़कियों और लड़कों का अनुपात लगभग समान है, हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल उपस्थिति में लैंगिक असमानता प्रत्येक आयु वर्ग में परिलक्षित होती है और यह आयु बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है। उल्लेखनीय है कि शहरी क्षेत्रों में भी 15-17 आयु वर्ग के केवल लगभग आधे बच्चे ही स्कूल जाते हैं-जिनमें लड़कियां लड़कों से कम हैं।[12]

देश में बड़ी तादाद में महिलाओं के लिए घूमने-फिरने (आवाजाही) की स्वतंत्रता में गंभीर कटौती की जाती है। हालांकि युवा किशोरियों के मामले में प्रतिबंध अधिक कठोर हैं। लड़कियों के मामले में यह काफी मायने रखता है क्योंकि आवागमन में वृद्धि, महिलाओं के सशक्तिकरण का एक प्रमुख संकेतक है। कुल मिलाकर, 15-49 आयु समूह की केवल एक-तिहाई महिलाओं को ही अकेले बाज़ार जाने, स्वास्थ्य केंद्र पर जाने, तथा समुदाय से बाहर जाने की इजाजत मिल पाती है। अपेक्षाकृत युवा महिलाओं के मामले में यह प्रतिशत और भी कम हो जाता है जहां 15-19 आयु वर्ग की केवल 12.8 प्रतिशत महिलाओं को ही उक्त तीन स्थानों पर जाने की अनुमति होती है, जबकि 20-29 वर्ष की महिलाओं के लिए यह 28 प्रतिशत है। आयु के अलावा, वैवाहिक स्थिति भी एक अन्य महत्त्वपूर्ण चर है। युवा और सर्वदा अविवाहित महिलाओं को आवाजाही की सबसे कम स्वतंत्रता होती है। तथापि 40 के पेटे में पहुंची महिलाओं में भी केवल लगभग आधी महिलाओं को ही इन तीनों स्थानों पर अकेले जाने की अनुमति होती है।[13] यह उल्लेखनीय है कि सभी आयु की लड़कियों के मामले में, घरेलू काम-काज में लगने की संभावना लड़कों की तुलना में अधिक रहती है जबकि लड़कों के लिए रोजगार प्राप्त करने या किसी अन्य के लिए कार्य करने की संभावना लड़कियों की अपेक्षा अधिक होती है।[14]

व्यापक और विस्तृत शोधों से पता चलता है कि घरेलू हिंसा के पीड़ितों द्वारा कई प्रकार के विपरीत जनसांख्यिकीय, प्रजनन संबंधी, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावों का अनुभव करने की संभावना पर बहुत प्रबल प्रभाव पड़ता है। अतः हिंसा से स्वतंत्रता न केवल स्वयं में स्वास्थ्य लक्ष्य है, बल्कि यह महिलाओं के स्वास्थ्य व पोषण स्थिति के लिए भी महत्त्वपूर्ण है। अधिक महत्त्वपूर्ण रूप में, यह व्यक्तिगत अस्तित्व के लिए महत्त्वपूर्ण जीवन व गरिमा के अधिकार का उल्लंघन करता है। कुल मिलाकर, 28 प्रतिशत युवा महिलाओं द्वारा शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव किया जाना पाया

6. अर्ली मैरिजः ए हार्मफुल ट्रेडीशन, UNICEF, 2005
7. ट्रेंड्स इन मेटर्नल मॉर्टलिटी: 1990 से 2010; WHO, UNICEF, UNFPA, एंड दि वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स, मई 2012
8. NFHS 3 (2005-2006)
9. जेंडर इक्वलिटी एंड वूमेन्स एम्पॉवरमेन्ट इन इंडिया, NFHS 2005-2006
10. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS-3), 2005-06: इंडिया: खंड I, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पापुलेशन साइंसेज (IIPS) और मैक्रो इंटरनेशनल, मुम्बई, 2007
11. जेंडर इक्वलिटी एंड वूमेन्स एम्पॉवरमेन्ट इन इंडिया NFHS 2005-2006
12. वही
13. जेंडर इक्वलिटी एंड वूमेन्स एम्पॉवरमेन्ट इन इंडिया, NFHS 3, 2005-2006
14. ए प्रोफाइल ऑफ यूथ इन इंडिया, NFHS 3, 2005-2006

गया। शारीरिक व यौन हिंसा का दायरा, शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा है। प्रत्येक प्रकार की हिंसा का प्रचलन, किशोरवय की तुलना में अधिक आयु के युवा लोगों में, तथा कभी विवाहित न होने वाले लोगों की तुलना में कभी विवाहित महिलाओं में अधिक है। यह आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि अधिकांश घरेलू हिंसा, पतियों द्वारा उनकी पत्नियों के विरूद्ध की जाती है।[15] कुल मिलाकर, कभी विवाहित 37 प्रतिशत युवा महिलाओं ने अपने जीवनसाथी की ओर से शारीरिक, यौन, या भावनात्मक हिंसा का अनुभव किया।[16] इसके अलावा, किशोरवय के लिए स्वास्थ्य चुनौतियों में प्रजनन मार्ग संक्रमण (RTI) तथा एचआईवी सहित यौन संचारित संक्रमण शामिल हैं। 15-19 आयु समूह में केवल 18.6 प्रतिशत महिलाओं तथा 34.5 प्रतिशत पुरूषों को ही HIV/AIDS के बारे में पूरी जानकारी थी[17] जो उनको एचआईवी से सुरक्षित रखने की उनकी गंभीर रूप से सीमित क्षमता का द्योतक है।

महिलाओं के विरूद्ध अपराध

- महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की रिपोर्टिंग (भारतीय दण्ड संहिता तथा विशेष एवं स्थानीय कानून) में 2012 की तुलना में 2013 में 26.7% की वृद्धि दर्ज की गई।
- आंध्र प्रदेश, जहां देश की महिलाओं की जनसंख्या का 7.3% भाग है, उसकी 2013 में अखिल भारतीय स्तर पर महिलाओं के विरूद्ध किए गए कुल अपराधों में से 10.6% की हिस्सेदारी तथा उत्तर प्रदेश जहां देश की महिला जनसंख्या का लगभग 16.7% भाग रहता है, की 10.5% की हिस्सेदारी रही।
- 2013 में महिलाओं के विरूद्ध किए गए अपराधों की दर 52.2 थी। वर्ष 2013 के दौरान दिल्ली में महिलाओं के विरूद्ध सबसे ज्यादा अपराध हुए, जहां की 52.2 की राष्ट्रीय अपराध दर के मुकाबले 146.8 की दर रही।

स्रोतः भारत में अपराध, नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो, गृह मामलों का मंत्रालय, नई दिल्ली 2013

भारत में किशोरवय की आयु के अनुसार स्तरीकृत आंकड़ों का अभाव है। पापुलेशन काउंसिल द्वारा भारत में 10-19 वर्ष आयु के किशोरवय की ज़रूरतों के बारे में एक हालिया साक्ष्य डेस्क सर्वेक्षण में पाया गया कि 10-14 वर्ष आयु के अपेक्षाकृत छोटे किशोरवय के बारे में शिक्षा को छोड़कर अन्य विषयों पर प्रकाशित साक्ष्य बहुत कम हैं या नहीं हैं। इसके अलावा, अधिकांश उपलब्ध साक्ष्य युवाओं को 15-24 आयु वर्ग श्रेणी में रखकर बनाए गए हैं, और आयु-स्तरीकृत आंकड़े की उपलब्धता अपेक्षाकृत कम है।[18] अतः 10-19 आयु वर्ग के किशोरवय के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, जबकि यह विशेष प्रकार के शारीरिक तथा भावनात्मक परिवर्तनों के कारण बहुत महत्त्वपूर्ण आयु समूह होता है।

याद रखने लायक प्रमुख बिंदु !

- यद्यपि भारत में कुल जनसंख्या का लगभग एक-चौथाई भाग किशोरवय का होने के कारण इसे 'जनांकिकीय रूप से लाभप्रद स्थिति' में कहा जाता है, लेकिन ऐसी महत्त्वपूर्ण लैंगिक असमानताएं मौजूद हैं जिनका समाधान किया जाना आवश्यक है।
- बालिकाएं तथा किशोरियां, जीवन के सभी स्तरों पर विशेषरूप से वंचित हैं- घटता लिंगानुपात, स्कूलों में कम उपस्थिति, आवाजाही पर प्रतिबंध, रोजगार के अपेक्षाकृत कम अवसर, तथा शारीरिक और यौन हिंसा के प्रति असुरक्षा (भेद्यता)।
- 2013 में महिलाओं के विरूद्ध दर्ज अपराधों की संख्या में 26.7% की बढ़ोत्तरी पाई गई, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर दिल्ली में अपराधों की दर सबसे अधिक पाई गई।

15. वही
16. वही
17. वही
18. अंडरस्टैंडिंग एडोलसेंट एम्पॉवरमेन्टः ए क्वॉलिटेटिव एक्सप्लोरेशन, पापुलेशन काउंसिल व UNICEF, जुलाई 2014

अनुभाग

3

लैंगिक हिंसा के कारण, तथा इसके प्रभाव कौन से हैं?

लैंगिक हिंसा न केवल मानवाधिकारों का उल्लंघन है बल्कि यह आधारभूत विकास लक्ष्यों की दिशा में भी प्रगति को नुकसान पहुंचाती है। साक्ष्यों से पता चलता है कि लैंगिक हिंसा, महिलाओं के जनांकिकीय, प्रजनन, शारीरिक, तथा मानसिक स्वास्थ्य परिणामों पर असर डालती है, जिसका सीधा प्रभाव देश कि प्रगति और विकास पर पड़ता है।[19]

अब शोधकर्ताओं तथा विकास अभ्यासकर्ताओं द्वारा लैंगिक हिंसा का संयुक्त रूप से कारण बनने वाले वैयक्तिक, परिस्थितिगत, तथा सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों को समझने के लिए 'पारिस्थितिक ढांचे' का उपयोग अधिक किया जाने लगा है।

अतः लैंगिक हिंसा किसी एक कारक का परिणाम नहीं है, बल्कि यह सामाजिक परिवेश के विभिन्न स्तरों पर कारकों के सम्मिलन का परिणाम होता है।

लैंगिक हिंसा या महिलाओं के विरुद्ध हिंसा-यह कौन सी है?

लैंगिक हिंसा, महिलाओं और पुरुषों, लड़कियों और लड़कों पर लागू हो सकती है। हालांकि महिलाओं व लड़कियों के विरुद्ध हिंसा के समाधान पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है, क्योंकि वे इससे अत्यधिक प्रभावित होती हैं। कहना आवश्यक नहीं है कि किशोरों के साथ यौन दुर्व्यवहार, तथा युवाओं का यौन शोषण प्रायः नहीं होता या यह विशेष चिंता का विषय नहीं है। महिलाएं और किशोरियां न केवल लैंगिक हिंसा के उच्च जोखिम में तथा प्रमुख रूप से निशाने पर होती हैं, बल्कि अत्यधिक गंभीर नतीजों की शिकार होती हैं जिनका सामना पुरुष अधिक दृढ़ता से कर लेते हैं। लैंगिक भेदभाव तथा निम्नतर सामाजिक-आर्थिक दर्जे की वजह से महिलाओं के सामने दुर्व्यवहार वाली स्थितियों से बचाव करने तथा न्याय पाने के विकल्प कम तथा स्त्रोत सीमित होते हैं। वे एसआरएच परिणामों से भी पीड़ित होती हैं, जिनमें बलात् तथा अवांछित गर्भधारण, असुरक्षित गर्भपात तथा इसके परिणामस्वरूप मौतें, गंभीर बवासीर, तथा यौन संचारी संक्रमणों व एचआईवी के अपेक्षाकृत अधिक बड़े जोखिम शामिल हैं।

19. UNFPA स्ट्रेटेजी एंड फ्रेमवर्क फॉर एक्शन टु एड्रेसिंग जेंडर-बेस्ड वायलेंस 2008-2011

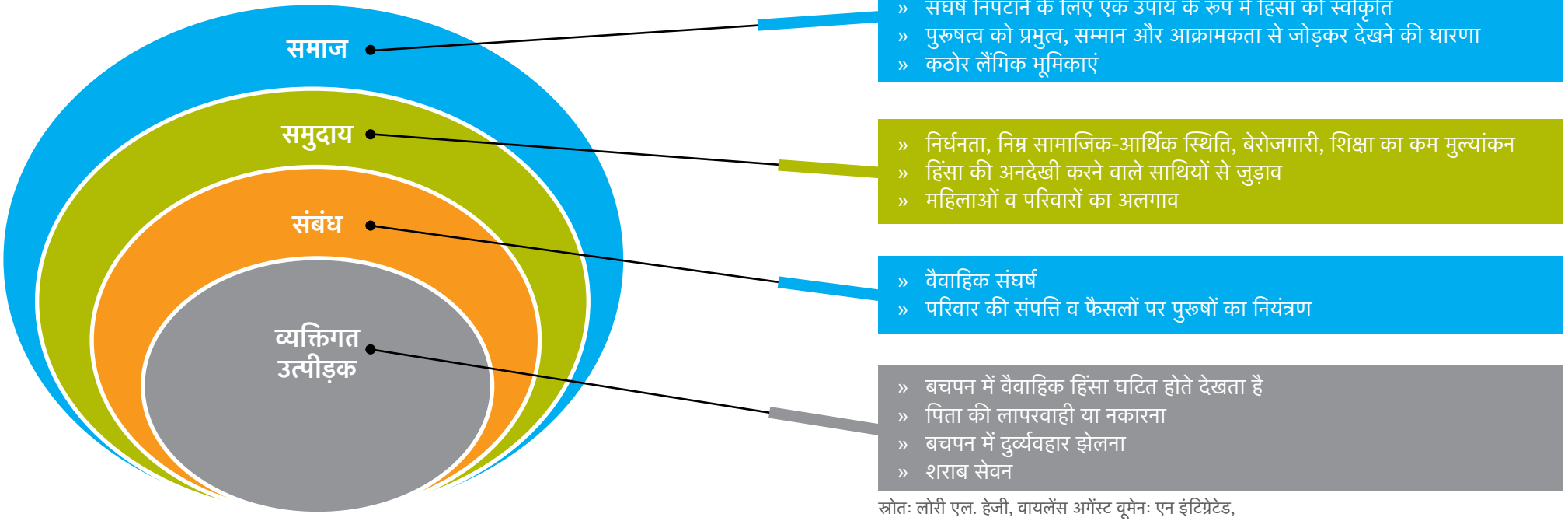

स्रोतः लोरी एल. हेजी, वायलेंस अगेंस्ट वूमेनः एन इंटिग्रेटेड, इकोलॉजिकल फ्रेमवर्म, सेज पब्लिकेशंस 1998

पारिस्थितिक ढांचे में, सबसे आंतरिक घेरा जैविक व व्यक्तिगत इतिहास दर्शाता है जो रिश्तों में व्यक्तियों के व्यवहारों को प्रभावित करता है। दूसरा घेरा, निकटवर्ती संदर्भ दर्शाता है जिसमें लैंगिक हिंसा परिवार या अन्य घनिष्ठ या परिचित रिश्तों में घटित होती है। तीसरा घेरा औपचारिक व अनौपचारिक संस्थाओं व सामाजिक संरचनाओं को दर्शाता है जिनमें रिश्ते गुंथे होते हैं-पड़ोस, कार्यस्थल, सामाजिक नेटवर्क, तथा साथियों के समूह। चौथा, सबसे बाहरी घेरा आर्थिक व सामाजिक परिवेश दर्शाता है जिसमें सांस्कृतिक मानक भी शामिल हैं।

कई सारे अध्ययनों[20] से पता चला है कि इनमें से प्रत्येक स्तर पर अनेक कारक, चाहे वे एकल कारक न भी हों, लेकिन वे लैंगिक हिंसा की संभावना बढ़ाने में योगदान कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर इन कारकों में उत्पीड़क के साथ बचपन के दौरान दुर्व्यवहार किया जाना, या घर में वैवाहिक हिंसा होते देखना, पिता की तरफ से लापरवाही या अस्वीकृति वाला व्यवहार, तथा शराब का आमतौर से उपयोग आदि शामिल हैं। पारिवारिक तथा संबंधों के स्तर पर, अनेक संस्कृतियों पर अध्ययनों में उल्लेख किया गया है कि परिवार में संपत्ति व निर्णयों पर पुरूषों का नियंत्रण, तथा वैवाहिक संघर्ष, दुर्व्यवहार के प्रबल पूर्वलक्षण होते हैं। सामुदायिक स्तर पर, महिलाओं का अलगाव तथा उनके लिए सामाजिक समर्थन का अभाव, और ऐसे पुरूष साथी समूहों का होना जो सामाजिक स्तर पर पुरूषों की हिंसा की अनदेखी करें और वैध ठहराएं, हिंसा की उच्च दरों की सूचक हैं। विश्वस्तर पर अध्ययनों में पाया गया है कि महिलाओं के विरूद्ध हिंसा

20. अधिक विवरणों के लिए पापुलेशन रिपोर्ट्स/चेंज में उद्धृत अध्ययन देखें, खंड XXVII, नं. 4, दिसम्बर 1999

वहां अधिक सामान्य प्रचलित होती है जहां लैंगिक भूमिकाएं कठोरता से निर्धारित और लागू की जाती हैं और जहां पुरूषत्व की सोच को कठोरता, पुरूष के सम्मान, या प्रभुत्व से जोड़ दिया जाता है। महिलाओं तथा बच्चों द्वारा शारीरिक दण्ड के प्रति सहनशीलता, आपसी विवादों को सुलझाने के लिए एक उपाय के रूप में हिंसा को स्वीकार करना, तथा यह धारणा कि पुरूषों का महिलाओं पर 'स्वामित्व' होता है, आदि दुर्व्यवहार से जुड़े अन्य सांस्कृतिक मानकों में शामिल हैं।

लैंगिक हिंसा के पारिस्थितिक पद्धति का तर्क है कि कोई एक कारक ही हिंसा का 'कारण' नहीं होता, बल्कि कई सारे कारक मिलकर किसी विशेष परिवेश में किसी व्यक्ति विशेष के लिए किसी महिला के प्रति हिंसा किए जाने की संभावना बढ़ा देते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक मानक-जैसे कि वे जो महिलाओं पर पुरूषों की वंशानुगत श्रेष्ठता तय करते हैं-व्यक्तिगत स्तर के कारकों से मिलकर लैंगिक हिंसा की संभावना निर्धारित करते हैं। जितने अधिक जोखिम कारक उपस्थित होंगे, हिंसा होने की संभावना भी उतनी ही अधिक होगी।

यहां कारणों तथा योगदान करने वाले कारकों के बीच विभेद स्पष्ट करना महत्त्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, निम्न आर्थिक स्थिति, शराब, नशीली दवाएं आदि लैंगिक हिंसा में योगदान कर सकते हैं, लेकिन वे स्वयं में कारण नहीं होते। उदाहरण के लिए, निर्धनता को प्रायः हिंसा का एक कारण बताया जाता है। इसके विपरीत आनुभविक साक्ष्य बताते हैं कि लैंगिक हिंसा सामाजिक-आर्थिक सीमाओं से परे होती है। यह पहले से मौजूद हिंसा को प्रेरित करने या बढ़ाने वाला एक कारक हो सकता है। तथ्य यह है कि निर्धन परिवारों में सभी पुरूष हिंसक नहीं होते, जिससे पता चलता है कि निर्धनता, हिंसा का अपर्याप्त स्पष्टीकरण है। निर्धनता की भूमिका को बढ़ाने से, वस्तुतः नियंत्रण के बाहर वाले कारकों के प्रति प्रतिक्रिया करने के तरीकों के बारे में विकल्प चुनने में लोगों की एजेंसी को नकारता है। इसी प्रकार, संघर्ष तथा तीव्र सामाजिक या आर्थिक परिवर्तन किसी समाज में लैंगिक हिंसा की मात्रा को प्रभावित करते हैं, लेकिन वे इसे उत्पन्न नहीं करते। महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की मौजूदा दरें, सामाजिक अस्थिरता के दौरान प्रायः बढ़ जाती हैं, और दुर्व्यवहार के नए स्वरुप प्रेरित हो सकते हैं। आर्थिक पुनर्गठन के समय पुरूषों की बेरोजगारी तथा महिलाओं का कार्यक्षेत्र में प्रवेश करने जैसी परिस्थितियां, या युद्ध के बाद अपंग हुए सैनिकों के लिए अवसरों का अभाव, पुरूषों की स्वयं को शक्तिशाली समझने की भावना के समक्ष चुनौती पेश कर सकते हैं। जिन संदर्भों में व्यक्तिगत रूप से पुरूष यह महसूस करते हैं कि उनकी पुरूषत्व की भावना और सत्ता खतरे में है, और कानूनी या प्रथा के रूप से लैंगिक हिंसा की अनदेखी की जाती है, तो ऐसी हिंसा की तीव्रता और आवृत्ति बढ़ सकती है, क्योंकि पुरूष अपनी शक्ति व नियंत्रण बहाल रखने के लिए संघर्ष करते हैं।

संक्षेप में, लैंगिक हिंसा (तथा विशेषकर महिलाओं के विरूद्ध हिंसा) महिलाओं व पुरूषों के बीच असमान सत्ता संबंधों के कारण उत्पन्न होती है, जिससे महिलाओं पर पुरूष प्रभुत्व सुनिश्चित होता है और यह पुरूषप्रधान/पितृसत्तात्मक समाजों की विशेषता है। हिंसा के स्पष्टीकरण अक्सर लैंगिक मानकों पर आधारित होते हैं-अर्थात पुरूषों और महिलाओं की 'उचित' भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में सामाजिक मानकों पर। ये सांस्कृतिक और सामाजिक मानक, पुरूषों का इस तरह समाजीकरण करते हैं कि वे आक्रामक, शक्तिशाली, भावुकतारहित, तथा नियंत्रण स्थापित करने वाले बनें, और पुरूषों को प्रभुत्वशाली रूप में सामाजिक स्वीकार्यता दिलाने में योगदान करते हैं। इसी प्रकार, महिलाओं से निष्क्रिय, स्नेही, आज्ञाकारी, तथा भावनात्मक बनने की अपेक्षाएं, महिलाओं की भूमिकाओं को कमजोर, शक्तिहीन, तथा पुरूषों पर आश्रित के रूप में पुष्ट करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इसे भली प्रकार पारिभाषित किया है, "सामान्य रूप से, किसी संस्कृति का अनुकूलन, या किसी उप-संस्कृति में साझा विश्वास, सहनशील व्यवहार की सीमाएं निर्धारित करता है। जिस सीमा तक कोई समाज हिंसा को अहमियत देता है, प्रतिष्ठा को हिंसक आचरण से जोड़ता है, या हिंसा को सामान्य या वैध व्यावहारिक व्यवहार के रूप में निर्धारित करता है, उस समाज में व्यक्तियों के मूल्य (अहमियत) उसी के अनुरूप विकसित होते हैं। लैंगिक असमानता के दृष्टिकोण, अनेक संस्कृतियों में गहनता से गुंथे हुए हैं और बलात्कार, घरेलू मारपीट तथा यौन उत्पीड़न आदि सब कुछ सांस्कृतिक मानक की हिंसक अभिव्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है।"[21]

महिलाओं पर हिंसा का प्रभाव बहुआयामी होता है। लैंगिक हिंसा के प्रायः शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, और सामाजिक प्रभाव होते हैं। पीड़ितों के लिए, ये अन्योन्याश्रित (आपस में संबंधित) होते हैं।

21. डी चैपेल व वी डी मार्टिनो, वायलेंस एट वर्क, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन, जेनेवा 1998

महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव

लैंगिक हिंसा का संबंध अनेक गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से होता है, जो तत्काल तथा दीर्घकालिक दोनों प्रकार की होती हैं। इनमें शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य समस्याएं शामिल हैं

कम घातक परिणाम			घातक परिणाम
शारीरिक	मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक	यौन तथा प्रजनन	
• पेट व गले में चोटें • रगड़ तथा नील • अस्थिभंग • क्रॉनिक पेन सिंड्रोम • अक्षमता/निःशक्तता • फाइब्रोमायल्जिया • गैस्ट्रोइन्टेस्टाइनल डिसआर्डर्स • इरिटेबल बावल सिंड्रोम • चीरे और खरोंचें • आंखों पर चोटें • शारीरिक गतिक्षमता में कमी	• आत्म-सम्मान में कमी • अवसाद और व्याकुलता (चिंता) • आघात के बाद के विकार • खाने और सोने से संबंधित विकार • अनुभूतियों और व्यग्रता के विकार • काल्पनिक भय और व्यग्रता के विकार • शारीरिक निष्क्रियता • आत्मघाती व्यवहार और खुद को नुकसान पहुंचाना • असुरक्षित यौन व्यवहार • शराब व नशीली चीज़ों का सेवन, धूम्रपान	• स्त्रीरोग विकार • बांझपन • पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज • गर्भावस्था से संबंधित जटिलताएं/गर्भपात • यौन विकार और यौन संचारित रोग जिनमें HIV/AIDS भी शामिल हैं • असुरक्षित गर्भपात • अवांछित गर्भधारण	» AIDS- संबंधित मृत्यु » मातृत्व मृत्यु » हत्या » आत्मघात

आर्थिक व सामाजिक प्रभाव

- सामुदायिक स्तर पर अस्वीकृति, बहिष्कार तथा सामाजिक दोष।
- सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी की क्षमता में कमी।
- भावी हिंसा का तीव्र भय, जो व्यक्तिगत पीड़ितों से समुदाय में अन्य सदस्यों तक फैलता है।
- महिलाओं के आत्मविश्वास को नुकसान, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक स्थानों पर जाने में भय होता है (यह महिलाओं की शिक्षा बाधित कर सकता है, जिससे उनके लिए आय-अर्जन अवसर कम हो सकते हैं)।
- अन्य प्रकार की लैंगिक हिंसा के प्रति भेद्यता (असुरक्षा) बढ़ना।
- हिंसा के परिणामस्वरूप ज्यादा अनुपस्थितियों के कारण रोजगारविहीनता।
- महिलाओं की आय-अर्जन क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव।

किशोरवय पर लैंगिक हिंसा का प्रभाव

शारीरिक चोट	निम्नतर शैक्षणिक प्रदर्शन
अवसाद	आघात पश्चात तनाव विकार
चिंता	निद्रा संबंधी विकार
संकोच	सामाजिक रिश्ते बनाने में कठिनाई
आत्मविश्वास तथा आत्मप्रतिष्ठा की कमी	गर्भधारण
खुद को नुकसान	यौन संचारी रोग
अस्वास्थ्यकर खान-पान आदतें (भार घटना/बढ़ना, एनोरेक्सिया)	जोखिम लेने या उद्दंड व्यवहार में बढ़ोत्तरी
स्कूल में कम उपस्थिति	आत्मघात का इरादा और आत्मघात के प्रयास
कक्षा में ध्यान केंद्रित न कर पाना	मौत

महिलाओं के परिवार तथा आश्रितों पर प्रभाव

प्रत्यक्ष प्रभाव

- तलाकशुदा या टूटे हुए परिवार
- परिवार के आर्थिक और भावनात्मक विकास में बाधा
- माता द्वारा गर्भावस्था में हिंसा का अनुभव किए जाने के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य विकारों वाले शिशुओं का जन्म होना (अर्थात समय से पूर्व जन्म या कम भार वाले बच्चे का जन्म होना);
- घरेलू हिंसा वाले परिवारों में बड़े होने वाले बच्चों के विरूद्ध हिंसा की संभावना बढ़ जाना
- घरों में हिंसा देखने वाले बच्चों पर समानांतर प्रभाव (भावनात्मक तथा व्यवहारगत व्यवधान, उदाहरण के लिए, झिझक, कम आत्म-प्रतिष्ठा, नींद में चौंकना, अपराधबोध, साथी पारिवारिक सदस्यों व संपत्तियों के विरूद्ध आक्रामकता, हिंसा करने वाले या हिंसा का सामना करने वाले के रूप में बड़े होने का जोखिम बढ़ जाना।)

अप्रत्यक्ष प्रभाव

- पीड़ित महिला की अपने बच्चों की देखभाल करने की क्षमता कम हो जाना (उदा. महिलाओं की आजीविका रणनीतियों तथा वैवाहिक जीवन में उनकी बातचीत वाली स्थितियों को प्रभावित करने वाले हिंसा के प्रभावों के कारण बच्चों में कुपोषण तथा उपेक्षा)
- बलात्कार से जन्मे बच्चे के प्रति पीड़िता का असमंजस या उपेक्षा वाला दृष्टिकोण।

पुरूषों पर हिंसा का प्रभाव

- तलाकशुदा या टूटा हुआ परिवार
- परिवार के आर्थिक और भावनात्मक विकास में बाधा
- सकारात्मक अभिव्यक्तियों, प्रेमपूर्ण भावनाओं व अभिव्यंजनाओं में अक्षमता।
- आक्रामकता और तनाव, जो हिंसा के दुश्चक्र को जन्म देता है।
- जोखिमपूर्ण व्यवहार में वृद्धि, जिनमें नशीली दवाओं, शराब का उपयोग व असुरक्षित संभोग शामिल हैं।
- अपने परिवार से खुद को अलग-थलग महसूस करने की अनुभूति।

उत्पीड़क पर हिंसा का प्रभाव

- समुदाय द्वारा जुर्माना, गिरफ्तारियां और कारावास
- उनके परिवार की देखभाल करने पर कानूनी प्रतिबंध, तलाक, या परिवारों का बिखर जाना;
- अपने परिवार से खुद को अलग-थलग महसूस करने की अनुभूति
- हिंसा के प्रभाव को कम करके आंकना, जिसके लिए वे जिम्मेदार हों, अपने साथी के प्रति की गई हिंसा की जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति, तथा इसे अपने संबंध से जोड़ने में असफलता।
- घर में तनाव में वृद्धि।

समाज पर हिंसा का प्रभाव

- स्वास्थ्य तथा न्यायिक प्रणालियों पर बोझ बढ़ना
- महिलाओं की उत्पादक शक्ति की हानि की वजह से आर्थिक स्थिरता और वृद्धि में बाधा
- विकास प्रक्रियाओं में महिलाओं की सहभागिता में बाधा, तथा सामाजिक व आर्थिक विकास में उनका योगदान कम हो जाना
- तीव्र सामाजिक, राजनैतिक, या आर्थिक परिवर्तनों के प्रति महिलाओं की प्रतिक्रिया क्षमता सीमित हो जाना
- सामाजिक रिश्तों में भरोसा टूट जाना
- सहायक नेटवर्कों का कमजोर पड़ जाना, जिन पर लोगों की बचाव रणनीतियां निर्भर होती हैं
- नेटवर्क छिन्न-भिन्न व विखंडित हो जाना, जो कि तनाव व अस्थिरता के दौर में समुदायों की क्षमताएं मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण होते हैं।

स्रोत :

पापुलेशन रिपोर्ट्स/चेंज, नं. 4, खंड XXVII, दिसम्बर 1999, http://www.jhuccp.org/pr/l11edsum.stm पर उपलब्ध

एफ पिकअप, एस. विलियम्स एंड सी स्वीटमैन, एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट वूमेनः ए चैलेंज फॉर डेवेलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन वर्क, ऑक्सफैम GB 2001

आउटलुकः वायलेंस अगेंस्ट वूमेनः इफेक्ट्स ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, खंड.20, नं. 1सितम्बर2002, http://www.path.org/files/EOL_20-1.pdf पर उपलब्ध

याद रखने लायक प्रमुख बिंदु !

- अपने मूलरूप में लैंगिक हिंसा अन्य व्यक्तियों पर शक्ति व नियंत्रण से संबंधित है-अधिकांश मामलों में पुरुष असमानता तथा रिश्ते में महिला के निम्नतर दर्जे के आधार पर महिलाओं पर प्रभुत्व स्थापित करता है।
- निर्धनता, शराब, बचपन में कई प्रकार की हिंसा का सामना आदि हिंसा में योगदान करने वाले प्रमुख कारक हैं जो इसकी वजह नहीं हैं
- हिंसा का प्रभाव बहुआयामी होता है: शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक। इसका स्पष्ट आर्थिक कुप्रभाव होता है और यह किसी देश की वृद्धि व विकास को बाधित करती है।

अनुभाग

4

किशोरवय सशक्तिकरण और लैंगिक हिंसा के बारे में हस्तक्षेप अधिक प्रभावी कैसे बनाए जा सकते हैं?

किशोरवय ऐसा दौर होता है जिसमें बहुआयामी परिवर्तनों के साथ रूपांतरण होता है: जैविक, मनोवैज्ञानिक (बोधात्मक को सम्मिलित करते हुए), तथा सामाजिक। जैविक रूप से, किशोरवय शुरूआत में यौवनारंभ से जुड़े परिवर्तनों का, माानसिक संरचना तथा यौन रूचियों में परिवर्तन का अनुभव करते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से, किशोरवय की बोधात्मक क्षमताएं परिपक्व बनती हैं। और अंततः किशोरवय स्कूल व अन्य रूपांतरणों व ऐसी भूमिकाओं द्वारा सामाजिक परिवर्तनों का अनुभव करते हैं जो वे परिवार, समुदाय और स्कूल में निभाते हैं। ये परिवर्तन के साथ होते हैं और प्रत्येक जेंडर के प्रत्येक किशोर में इनकी गति अलग-अलग रहती है, जिसके साथ संरचनागत व पर्यावरणीय कारक प्रायः किशोरवय के विकास को प्रभावित करते हैं। यद्यपि किशोरवय को स्वयं में प्रायः विकास का एक स्तर माना जाता है लेकिन किशोरवय में विकास के कई स्तर मौजूद होते हैं जिन्हें समझना मायने रखता है विशेषकर यदि वे इस जनसंख्या को लक्ष्य बनाकर तय किए जाने वाले कार्यक्रमों के डिजाइन व कार्यान्वयन से जोड़े जाने हों। प्रत्येक स्तर में, किशोरवय अद्वितीय जैविक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक (बोधात्मक सहित), तथा सामाजिक परिवर्तनों का अनुभव करते हैं। एकात्म विकास स्तर के रूप में किशोरवय की सीमित व्याख्या, प्रत्येक स्तर में अंतरों व आवश्यकताओं को छिपा देती है। परिणामस्वरूप कार्यक्रम व हस्तक्षेप निष्प्रभावी हो सकते हैं यदि इन्हें सभी स्तरों पर सभी किशोरवय को लक्ष्य बनाते हुए डिजाइन किया गया हो।[22]

सामाजिक लिंग और किशोरवय

किशोरवय के दौरान लड़कियों और लड़कों द्वारा अनुभव किए जाने वाले विकासात्मक परिवर्तनों व सामाजिक अनुभवों में महत्त्वपूर्ण अंतर होते हैं। स्पष्ट रूप से, प्रत्येक लिंग में यौवनारंभ अलग प्रकार से होता है, लड़कियां

22. एडोलसेंट डेवेलपमेन्टः पर्सपेक्टिव्स एंड फ्रेमवर्क्स-ए डिस्कशन पेपर, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन्स फंड (UNICEF), न्यूयार्क, 2005

इन बदलावों का अनुभव लड़कों की तुलना में 12 से 18 महीने पहले करती हैं, और यौवन परिपक्वता की अवधि प्रत्येक किशोरवय के भरोसे को अलग तरीके से प्रभावित कर सकती है।[23] प्रचलित लैंगिक मानकों, भेदभाव, निर्धनता, तथा दुर्व्यवहार के प्रभाव, युवा लड़कियों पर नकारात्मक प्रभावों को बढ़ा सकते हैं और लड़कों की अपेक्षा उन्हें नकारात्मक स्वास्थ्य परिणामों के प्रति अधिक असुरक्षित बना सकते हैं। (UN DESA, 2003) संस्कृति के अनुसार लड़कियों व लड़कों के लिए स्वास्थ्य जोखिमों में व्यापक अंतर होते हैं: संघर्षग्रस्त इलाकों में, जहां अनेक किशोरियों के लिए तस्करी व यौन दुर्व्यवहार के जोखिम होते हैं, वहां अनेक युवा लड़के प्रायः बाल सैनिकों के रूप में भर्ती कर लिए जाने के खतरे का सामना करते हैं। (McIntyre, 2004) इसके अलावा, जेंडर के अनुसार अभिभावकों का भरोसा किशोरवय की अपनी क्षमताओं के बारे में दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकते हैं। (Jacobs, Bleeker, & Constantino, 2003) लड़कियों की भूमिकाएं और उनसे अपेक्षाएं, लड़कों की अपेक्षा बहुत अलग होती हैं जो शिक्षा, विशेष कर माध्यमिक स्कूल नामांकन, अवसरों, तथा सूचनाओं तक पहुंच के मामलों में प्रभाव डालती हैं। अंत में, लड़कियों और लड़कों की खुद से प्रत्याशाएं और आकांक्षाएं, समुदाय और संस्कृति के अनुसार बहुत भिन्न हो सकती हैं। संक्षेप में, प्रत्येक संस्कृति में लड़कियों व लड़कों के बीच जोखिमों, आवश्यकताओं व अवसरों में अंतरों के गंभीर निहितार्थ हैं जिनका कार्यक्रम डिजाइन करते समय ध्यान रखा जाना चाहिए। किशोरवय के कार्यक्रम प्रत्येक जेंडर की विभिन्न ज़रूरतें पूरी करने के लिहाज से लचीले अवश्य होने चाहिए।

किशोरवय कार्यक्रमों को डिजाइन व क्रियान्वित करते समय पूछे जाने वाले मुख्य प्रश्न

- क्या संस्कृति/क्षेत्र विशेष में लड़कियों और लड़कों को अलग-अलग तरह से अहमियत दी जाती है?
- यह उनकी पहुंच वाले अवसरों को किस तरह से प्रभावित करता है-उदा. स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक अवसर, आवाजाही, आदि।
- क्या संस्कृति/क्षेत्र विशेष में अस्वस्थता और मृत्युदर जेंडर के अनुसार भिन्न होते है?
- क्या जेंडर के अनुसार नकारात्मक स्वास्थ्य परिणामों वाले जोखिम कारकों में अंतर होता है?
- क्या किशोरियां और किशोर, सार्वजनिक स्थानों/स्थितियों/भूमिकाओं का समान रूप से उपयोग करते हैं?
- क्या जोखिमपूर्ण व्यवहार में जेंडर के अनुसार अंतर होता है?
- क्या खुद से किशोरवय की अपेक्षाओं में (उदा. भविष्य के प्रति नजरिया) जेंडर के अनुसार अंतर होता है?

जहां डिजाइन और क्रियान्वयन चरण में सामाजिक लिंग के हिसाब से देखना लागू करना महत्त्वपूर्ण है, वहीं सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से कार्य को किशोरवय के साथ जोड़ना भी समान रूप से महत्त्वपूर्ण है।

सशक्तिकरण के चालकों व उपायों का आरेखीय निरूपण

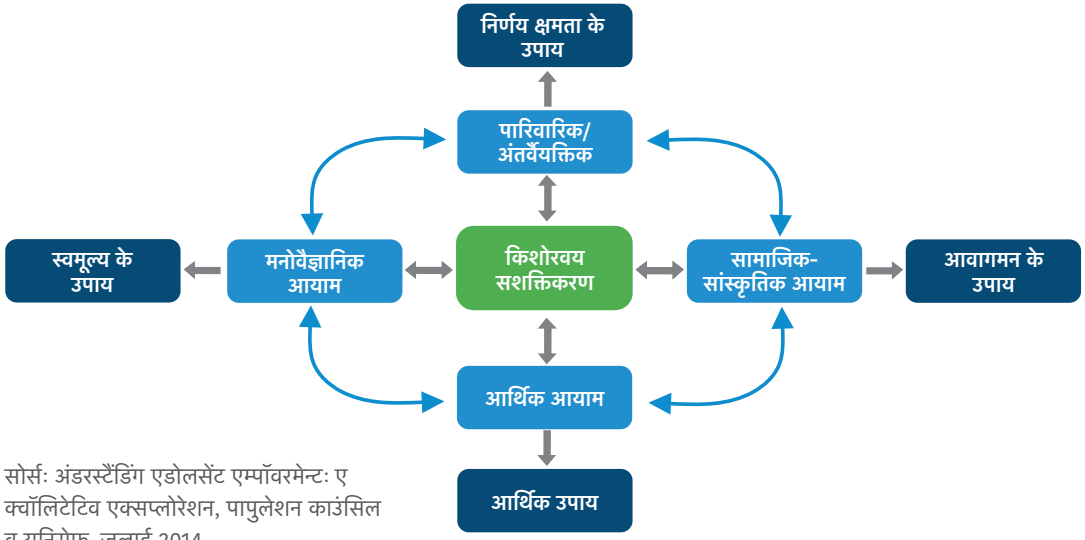

सोर्स: अंडरस्टैंडिंग एडोलसेंट एम्पॉवरमेन्ट: ए क्वॉलिटेटिव एक्सप्लोरेशन, पापुलेशन काउंसिल व यूनिसेफ, जुलाई 2014

23. एनआरसी 2002

नायला कबीर ने सशक्तिकरण को ऐसे संदर्भ में लोगों की रणनीतिक जीवन विकल्प चुनने की क्षमता के विस्तार से संदर्भित किया है जहां यह क्षमता पहले उन्हें नहीं दी जाती थी। अतः सशक्तिकरण में वे संदर्भ जिनमें व्यक्ति रहता है, निर्णय लेने हेतु एजेंसी या क्षमता (प्रगति), तथा वह उपलब्धि शामिल है जो विकल्पों का परिणाम होती है।[24] अधिकांश प्रकाशित साहित्य सशक्तिकरण को पारिभाषित करने में एजेंसी की भूमिका को शामिल करता है। व्यक्तिगत स्तर पर एजेंसी में चार व्यापक आयाम शामिल होते हैं: (i) सामाजिक-सांस्कृतिक, उदाहरण के लिए आवागमन की स्वतंत्रता, (ii) पारिवारिक/अंतर्वैयक्तिक, उदाहरण के लिए, घरेलू निर्णय लेने में भागीदारी, (iii) मनोवैज्ञानिक, उदाहरण के लिए, आत्म-सम्मान तथा आत्म-क्षमता, और (iv) आर्थिक, उदाहरण के लिए, अपने व पारिवारिक संसाधनों तक पहुंच और उन पर नियंत्रण। सशक्तिकरण का ढांचा, कार्यक्रम कार्य को किशोरवय से जोड़ने के लिए एक अच्छा अवधारणात्मक टूल उपलब्ध कराता है।

लैंगिक हिंसा पर मौजूदा हस्तक्षेपों की एक समीक्षा से पता चलता है कि पीड़ितों के लिए स्वास्थ्य एवं कानूनी सेवाओं के प्रावधान, विश्व के अधिकांश भागों में लैंगिक हिंसा का समाधान करने वाले कार्यक्रमों के प्रयासों के केंद्र में रहे हैं।[25] इसके अलावा, अधिकांश निरोधात्मक कार्यक्रम जो सेवा कार्यक्रमों के साथ प्रस्तावित किए जाते हैं, वे लैंगिक हिंसा की पीड़ित महिलाओं तक पहुंचते हैं। जहां वे उन व्यक्तियों के लिए भावी घटनाओं की रोकथाम के तरीके उपलब्ध करा सकते हैं। वहीं ऐसे कार्य की आवश्यकता अनुभव होती है जो इसके प्रचलन की समर्थक परिस्थितियों को बदलते हुए प्राथमिक रोकथाम का समाधान करे। स्वास्थ्य-क्षेत्र की रिपोर्टों में बार-बार एक यह निष्कर्ष पाया गया है कि यौन हिंसा के पश्चात सेवाओं की खोज करने वालों में अधिकांश लड़कियां होती हैं, फिर भी स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिकांश कार्यक्रम और व्यवस्थाएं वयस्कों के लिए डिजाइन किए जाते हैं।[26] युवा लड़कियां, रिपोर्ट न किए जाने वाले स्वरूपों में यौन हिंसा को अनुभव करने के खतरों का अधिक सामना कर सकती हैं, जिसमें अवांछित तथा बलात संभोग और यौन उत्पीड़न शामिल है।

एक विशेष स्वास्थ्य क्षेत्र/न्यायिक उपागम जो लैंगिक हिंसा के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य परिणामों हेतु उपचार उपलब्ध कराने के साथ पीड़ितों हेतु प्रतिकार तथा सेवाओं पर केंद्रित है, उनमे प्राथमिक निरोधक उपायों का अभाव है।

किशोरियों के सशक्तिकरण का क्या अर्थ है-कार्यक्रम के संदर्भ में?

- किशोरियों को कौशल, आत्मविश्वास, तथा जीवन विकल्पों से सुसज्जित करने के लिए पारिवारिक, स्कूली, तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण, तथा स्वास्थ्य, सामाजिक, और आर्थिक समर्थन प्रणालियों के माध्यम से उनमें निवेश करना।
- लड़कियों की सुरक्षा, संपर्क-सुविधा, तथा आवाजाही संबंधी ज़रूरतें पूरी करने के लिए बुनियादी ढांचा, सेवाएं और तकनीक को लड़कियों के लिए सुलभ और प्रभावी बनाना।
- नागरिक, आर्थिक व राजनैतिक जीवन में किशोरियों की सहभागिता को बढ़ावा देना।
- निजी व सार्वजनिक क्षेत्रों में लड़कियों व महिलाओं के प्रति हिंसा को दिखाई देने वाला तथा अस्वीकार्य बनाने के लिए निरंतर पैरवी करना।
- किशोरियों के सशक्तिकरण, तथा उनके विरुद्ध हिंसा से संबंधित आंकड़े, मापन तथा साक्ष्य आधार मजबूत बनाना।

हस्तक्षेप के अधिक उपयुक्त बिंदु डिजाइन करने के लिए हिंसा के मूल कारणों की पहचान आवश्यक है। लैंगिक हिंसा के समाधान हेतु एक अधिक समग्र उपागम में लड़कियों के लिए आर्थिक व सामाजिक

24. एन कबीर, 'रिफ्लेक्शंशस ऑन दि मेज़रमेंट ऑफ वीमेन्स एम्पॉजवरमेन्ट' इन डिस्कसिंग वीमेन्स एम्पॉवरमेन्ट-थियरी एंड प्रैक्टिस, सिडा स्टडीज नं. 3, स्टॉकहोम, 2001
25. एड्रेसिंग सेक्सुअल एंड जेंडर-बेस्ड वायलेंस (SGBV) अगेंस्ट एडोलसेंट गर्ल्स, प्रोमोटिंग हेल्दी, सेफ, एंड प्रोडक्टिव ट्रांजिशंस टू एडल्टहुड, ब्रीफ नं 38, पापुलेशन काउंसिल, मई 2011
26. जिल केसबरी एंड इयान अस्क्यू, कम्प्रेहेंसिव रिस्पोंसेस टू जेंडर-बेस्ड वायलेंस इन लो रिसोर्स सेटिंग्स: लेसंस लर्न्ड फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन, पापुलेशन काउंसिल, न्यूयार्क 2010

परिसंपत्तियां निर्मित करना, तथा अधिक स्वस्थ लैंगिक मानकों को बढ़ावा देने के लिए पुरूषों व लड़कों को शामिल करना, और अधिक सुरक्षित माहौल निर्मित करने के लिए समुदायों के साथ कार्य करना शामिल है। ऐसे उपागम का अतिरिक्त लाभ यह है कि यह बाल विवाह रोकने या टालने में मददगार हो सकता है, जो कि लैंगिक हिंसा के रूप में अधिक माना जाने लगा है।

किशोरवय के कार्यक्रमों में अधिकारों को केंद्र में रखा जाना

एक मानवाधिकार आधारित उपागम, मानव विकास की प्रक्रिया हेतु एक अवधारणात्मक रूपरेखा है जो मानक रूप में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों पर आधारित होता है तथा व्यावहारिक रूप में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने व संरक्षण करने की ओर निर्देशित होता है। यह उन असमानताओं के विश्लेषण का प्रयास करता है जो विकासात्मक समस्याओं के केंद्र में होती हैं और विकास प्रक्रिया को बाधित करने वाली भेदभावपूर्ण विधियों तथा अन्यायपूर्ण शक्ति वितरणों का समाधान करता है।

18 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए, अपने दृष्टिकोण स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त करने का अधिकार तथा उनकी आयु व परिपक्वता के अनुसार निर्णय करने में उनका ध्यान रखा जाना, बाल अधिकार संधिपत्र के अनुच्छेद 12 में उल्लेखित है।

अधिकार आधारित कार्यक्रम रूपरेखा यह क्यों अनिवार्य है?		यह कैसे किया जा सकता है?
सामाजिक परिसंपत्तियां विकसित करना	'सुरक्षित स्थान' लड़कियों को सामाजिक और मानवीय परिसंपत्तियां विकसित करने, तथा शारीरिक रूप से सुरक्षित स्थानों में सामाजिक नेटवर्कों तक पहुंच बढ़ाने के अवसर देते हैं। इन स्थानों में, लड़कियां ऐसे सामाजिक संपर्क मजबूत बनाने में सक्षम बनती हैं जो समूह से सम्बद्धता व पहचान के माध्यम से जोखिम कम करने में योगदान करते हैं, जिससे बातचीत तथा संवाद के कौशल विकसित होते हैं और आत्म-विश्वास का निर्माण होता है।	• किशोरियों के समूहों को समर्थन दें और ऐसे सुरक्षित स्थान निर्मित करें जहां लड़कियां नियमित रूप से मिलकर लैंगिक हिंसा, इसके कारणों, तथा साथियों पर इसके प्रभावों के बारे में चर्चा कर सकें, अपने सरोकार रख सकें और जानकारियों का आदान-प्रदान कर सकें। • कार्यक्रम में लड़कियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनके अभिभावकों तथा समुदाय को लामबंद करें। • लड़कियों के मिलने के लिए चयनित स्थान, अभिभावकों तथा सामुदायिक गेटकीपरों के लिए सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य होना चाहिए लेकिन फिर भी वह उनके दबाव से मुक्त होना चाहिए। स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, किसी विश्वसनीय सामुदायिक सदस्य का घर, आदि मुलाकात स्थल बनाए जा सकते हैं।
आर्थिक परिसंपत्तियां सुरक्षित करना	वित्तीय शिक्षा, एक बुनियादी जीवन कौशल है-यह संवाद, आत्म-सम्मान, और बुनियादी स्वास्थ्य ज्ञान की तरह महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों के जरिए विकसित अनेक जीवन कौशल-जैसे कि निर्णय-सृजन, लक्ष्य निर्धारण, तथा बातचीत-भी वित्तीय शिक्षा के माध्यम से सिखाए जाते हैं।	• लड़कियों को घर में या समूह में बचत करने के लिए प्रेरित करें- समूह में लड़कियों की परिपक्वता और आयु के हिसाब से रजिस्टर रखें या खाता खोलें। • व्यावसायिक प्रशिक्षण दें, या ऐसा प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों से समूह का संपर्क स्थापित करें। हालांकि अति संतृप्तता तथा लैंगिक मानक ऐसे प्रयासों से जुड़ी सामान्य चुनौतियां होती हैं। सिखाए जाने वाले कौशल प्रासंगिक होने चाहिए और क्षेत्र में उनका बाज़ार उपलब्ध होना चाहिए। साथ ही, व्यावसायिक प्रशिक्षण उनको 'स्वीकार्य' लैंगिक कौशल तक सीमित रखने वाले नहीं होने चाहिए, जैसे कि सिलाई, अगरबत्ती/मोमबत्ती बनाना आदि। • उद्यमिता प्रशिक्षण, जीवन कौशल शिक्षा, स्वास्थ्य जागरूकता तथा लीडरशिप (नेतृत्व) विकास

अधिकार आधारित कार्यक्रम रूपरेखा यह क्यों अनिवार्य है?		यह कैसे किया जा सकता है?
जेंडर के मानक बदलने के लिए पुरूषों और लड़कों के साथ कार्य करना	जहां लड़कियों के लिए प्रयास महत्त्वपूर्ण हैं, वहीं उनका सशक्तिकरण और उन्नतीकरण, सामुदायिक मानकों के रूपांतरण से अत्यधिक संबंधित है। पुरूषत्व और लैंगिक असमानता के मुद्दों पर पुरूषों व लड़कों के साथ कार्य करना महत्त्वपूर्ण है, ताकि वे युवा लड़कियों व महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु समान सहयोगी बन सकें।	• पुरूषों और लड़कों को परियोजना गतिविधियों में सहायकों व समान प्रतिभागियों के रूप में शामिल करें- • जेंडर के बारे में उनकी क्षमताएं विकसित करने तथा लैंगिक हिंसा व इसके प्रभाव समझाते हुए शुरूआत करें। • समुदाय में परिवर्तन के पक्षधर किशोरों की पहचान करें और उनको सामुदायिक संगठन के प्रयासों में शामिल करें। • परिवर्तन के पक्षधर प्रमुख सामुदायिक पुरूष सदस्यों की पहचान करें और उनको सामुदायिक संगठन के प्रयासों में शामिल करें। • किशोरियों के पिताओं को परिवर्तन के पैरोकारों के रूप में संगठित करें। • व्यवहार में परिवर्तन हेतु दण्डात्मक मॉडल के बजाय सकारात्मक तरीका अपनाना महत्त्वपूर्ण है, उनके सर्वोत्तम हित में परिवर्तन के तरीकों की पहचान करें।
संस्थाओं के साथ कार्य करना	संस्थाएं जैसे कि परिवार, स्कूल, धार्मिक संस्थाएं आदि लड़कियों व लड़कों का कठोर लैंगिक भूमिकाओं के अनुसार समाजीकरण करने में महत्त्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं: लड़कों के लिए आक्रामक पुरूषत्व और लड़कियों के लिए निष्क्रिय नारीत्व। हानिकारक लैंगिक मानक बदलने की दिशा में उनके साथ काम करने से सामुदायिक लैंगिक मानकों को बदलने में मदद मिलती है।	• किशोरों तक पहुंच बनाने के लिए स्कूल/कॉलेज एक उत्कृष्ट प्रवेश बिंदु होते हैं, अध्यापकों को सहयोगी और लैंगिक समानता के पैरोकार बनाएं। • स्कूलों, तथा प्रशासन को लैंगिक हिंसा व इसके प्रभावों के बारे में संवेदनशील बनाएं। • लैंगिक हिंसा को पाठ्यक्रम के भाग के रूप में शामिल करने के लिए स्कूलों के साथ कार्य करें। • पंचायतों, धार्मिक संस्थाओं को लैंगिक हिंसा के विरूद्ध सार्वजनिक विरोधी रवैया अपनाने के लिए संगठित करें।

स्रोतः के ऑस्ट्रियन व डी. घटी, गर्ल सेंटर्ड प्रोग्राम डिजाइनः ए टूलकिट टू डेवेलप, स्ट्रेंथन एंड एक्सपैंड एडोलसेंट गर्ल्स प्रोग्राम्स, पापुलेशन काउंसिल 2010 से अनूदित

'सुरक्षित' स्थान क्या है?

सुरक्षित तथा सहायक वातावरण, युवाओं को स्वस्थ विकल्प चुनने के लिए प्रेरित करने में सहायक होता है। इस संदर्भ में 'सुरक्षित' का अर्थ आघात, अत्यधिक तनाव, हिंसा (या हिंसा का भय), या दुर्व्यवहार की अनुपस्थिति से है। सहायक का अर्थ ऐसे वातावरण से है जो परिवार, अन्य वयस्कों (अध्यापक, तथा युवा, व धार्मिक नेता शामिल हैं), तथा साथियों से सकारात्मक, घनिष्ठ संबंध प्रदान करता है।

सामाजिक परिसंपत्तियां निर्मित करने वाली कार्यक्रम गतिविधियां	मानव परिसंपत्तियां निर्मित करने वाली कार्यक्रम गतिविधियां
• समूह बनाना • सामाजिक सहायता • सामाजिक नेटवर्कों का विकास • मार्गदर्शन	• जीवन कौशल प्रशिक्षण • स्वास्थ्य शिक्षा • साक्षरता कार्यक्रम • वित्तीय शिक्षा • अधिकारों की शिक्षा • रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण • व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण • व्यवसाय विकास प्रशिक्षण • व्यवसाय इंटर्नशिप/सम्बद्धताएं
भौतिक परिसंपत्तियां निर्मित करने वाली कार्यक्रम गतिविधियां	**वित्तीय परिसंपत्तियां निर्मित करने वाली कार्यक्रम गतिविधियां**
• व्यवसायों हेतु टूल्स या उपकरणों तक पहुंच • मिलने के लिए सुरक्षित भौतिक स्थान • कार्य करने के लिए सुरक्षित स्थान	• बचत • साख/ऋण • धन प्रेषण सेवाएं • अन्य वित्तीय सेवाएं

स्रोतः के ऑस्ट्रियन व डी. घटी, गर्ल सेंटर्ड प्रोग्राम डिजाइनः ए टूलकिट टू डेवेलप, स्ट्रेंथन एंड एक्सपैंड एडोलसेंट गर्ल्स प्रोग्राम्स, पापुलेशन काउंसिल 2010

किशोरवय के लिए लैंगिक हिंसा पर हस्तक्षेप निर्धारित करने के लिए आधारभूत चरण

यह इस तरह से होता है

01 इसके द्वाराः एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करके, जहां युवा लोग इस बारे में खोजबीन कर सकें कि किस तरह से लैंगिक हिंसा उन्हें व उनके साथियों को सीधे प्रभावित करती है।

02 इसके द्वाराः लैंगिक मानकों तथा लैंगिक असमानता का कारण बनने वाली लैंगिक हिंसा, तथा इसके बुनियादी कारणों के बारे में लोगों का ज्ञान और समझ उन्नत बनाकर।

03 इसके द्वाराः युवाओं को उनके अपने समुदायों में परिवर्तन के वाहक बनाने, तथा कौशल और आत्मविश्वास से सशक्त बनाकर, जहां लैंगिक हिंसा उन्हें और उनके साथियों को प्रभावित करती हो वहां इसे चुनौती देने और रोकथाम करने के लिए।

04 इसके द्वाराः युवाओं को यह समझने में सक्षम बनाकर कि उनकी अहमियत समझा जाना और उनके साथ सम्मान का व्यवहार किया जाना उनका अधिकार है और दूसरों की अहमियत समझना तथा सम्मान करना उनकी जिम्मेदारी है।

05 इसके द्वाराः युवाओं में लैंगिक हिंसा की रोकथाम करने, तथा सहनशीलता, सम्मान और समानता पर आधारित रिश्तों को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों तथा अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों की भूमिका उन्नत बनाकर।

06 इसके द्वाराः औपचारिक तथा अनौपचारिक परिवेशों में शिक्षकों को लैंगिक हिंसा की रोकथाम के मुद्दे पर युवाओं के साथ कार्य करने के लिए सूचनाएं और टूल्स उपलब्ध कराकर।

स्रोतः यूथ फॉर यूथः ए मैनुअल फॉर एम्पॉवरिंग यंग पीपुल टू एड्रेस जेंडर बेस्ट वायलेंस थ्रो पीअर एजुकेशन, मेडिटेरेनियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेंडर स्टडीज, 2012

© Breakthrough/India

लैंगिक हिंसा पर कार्यक्रम हस्तक्षेपों के लिए प्रमुख चुनौतियां

- अधिकांश समाजों में लैंगिक हिंसा को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है, इसे परंपरागत प्रथाओं से मजबूत बना दिया जाता है और इसलिए इसमें कोई बदलाव करना मुश्किल हो जाता है। इसका प्रायः परिवारों, समुदायों, तथा धार्मिक नेताओं द्वारा 'कोई मुद्दा न मानते हुए' विरोध किया जा सकता है। अतः समुदाय को इस बदलाव के लिए तैयार करना एक महत्त्वपूर्ण बात है।
- अधिकांश मामलों में लैंगिक हिंसा का समाधान, राजनैतिक एजेंडे में शामिल नहीं होता। यह महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, तथा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम जैसे कानूनों के कमजोर क्रियान्वयन से स्पष्ट है, जहां राजनैतिक इच्छाशक्ति का अभाव, कानूनों के क्रियान्वयन हेतु कम बजटीय आवंटन, तथा कानून क्रियान्वयन के संदर्भ में पदाधिकारियों का प्रतिरोध प्रमुख बाधाएं रही हैं।
- कुछ लैंगिक हिंसा कार्यक्रमों का भली-भांति मूल्यांकन किया गया है, तथा अनेक संभावनाओं वाले कार्यक्रमों का अभी तक कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

याद रखने लायक प्रमुख बिंदु !

- किशोरवय कोई एक सामान वर्ग नहीं होता है; प्रत्येक आयु के लोगों की अपनी खास ज़रूरतें और असुरक्षाएं होती हैं। इन अलग-अलग ज़रूरतों तथा असुरक्षाओं पर कार्यक्रमों में विचार करना तथा इन्हीं के अनुसार कार्यक्रम डिजाइन व क्रियान्वित करना महत्त्वपूर्ण है।
- किशोरियां विशेषरूप से असुरक्षित होती हैं: कार्यक्रमों में किशोरियों की असुरक्षाओं विशेषकर यौन व लैंगिक हिंसा संबंधी असुरक्षाओं का समाधान अवश्य किया जाना चाहिए।
- किशोरवय हेतु समस्त कार्य को सशक्तिकरण उपागम के उपयोग द्वारा जोड़ना बहुत महत्त्वपूर्ण है।

अनुभाग

5

किशोरवय द्वारा लैंगिक हिंसा की रिपोर्ट करने पर क्या करें और किससे संपर्क करें?

लैंगिक हिंसा का अनुभव करने वाले किशोरवय के लिए इस बारे में बताना व मदद मांगना बहुत कठिन कार्य हो सकता है। इसके कई कारण हैं: लैंगिक हिंसा और भेदभाव की जड़ें सामाजिक मानकों में हैं इसलिए इन्हें चुनौती देना कठिन होता है। बाल विवाह, इस द्विभाजन को दर्शाने वाला अच्छा उदाहरण है। कानूनन दण्डनीय होने के बावजूद बाल विवाह को व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता प्राप्त है और इसलिए इसका (किशोरियों व उनके परिवारों द्वारा) प्रतिरोध करना कठिन हो जाता है। विवाहित किशोरियां जो अपने रिश्तों में हिंसा का अनुभव करती हैं, वे विकल्पों के अभाव में तथा/या यदि बच्चे हों तो उनकी वजह से दुर्व्यवहार वाले रिश्ते को ढोते रहने के लिए मजबूर रहती हैं। कुछ विवाहित किशोरियों के लिए, घनिष्ठ पुरूष साथी को छोड़ देने के आर्थिक परिणाम, भावनात्मक व शारीरिक कष्टों से अधिक भयंकर होते हैं। बाल विवाह सहित लैंगिक हिंसा का प्रतिरोध करने के लिए पारिवारिक व सामुदायिक समर्थन का न होना, इन बुराईयों के बने रहने का एक सबसे बड़ा कारण है। यह इशारा करने वाले साक्ष्य बढ़ रहे हैं कि सामुदायिक मानक बदले जाने पर लैंगिक मानक बदले और स्थायी रखे जा सकते हैं। इसलिए लैंगिक असमानता के मानकों को बदलने के लिए समुदाय के साथ मिलकर कार्य करना महत्वपूर्ण बन जाता है।

लैंगिक हिंसा के कार्यक्रम दो श्रेणियों में होते हैं: निरोधात्मक और प्रतिक्रियात्मक। निरोधात्मक पक्ष में, कार्यक्रम लैंगिक हिंसा की रोकथाम करने में मददगार होते हैं। लड़कियों की सामाजिक, स्वास्थ्य, वित्तीय तथा शारीरिक संपत्तियां विकसित करने से उनको उन परिस्थितियों से यथासंभव सर्वश्रेष्ठ ढंग से बचाव करने के लिए कौशल, ज्ञान, आत्म-सम्मान और वित्तीय साधन मिलते हैं। लैंगिक हिंसा रोकने की रणनीतियां परियोजना के सहभागियों, विशेषकर युवा लड़कियों की सलाह से विकसित की जानी चाहिए और उनके द्वारा बताई गई 'असुरक्षा' की दशाओं पर आधारित होने चाहिए। लैंगिक हिंसा के बारे में प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएं ताकि लड़कियां लैंगिक हिंसा के विभिन्न प्रकारों, अपने अधिकारों, उचित/अनुचित व्यवहार के स्वरूपों, तथा उनके खुद के या उनके किसी मित्र/रिश्तेदार के हिंसा का सामना किए जाने की स्थिति में किए जाने वाले उपायों से अवगत हो पाएं।

लैंगिक हिंसा के विषय में शामिल करने के लिए प्रमुख बिंदु

- लैंगिक हिंसा क्या है और यह मानवाधिकारों का उल्लंघन क्यों है
- हिंसा के विभिन्न प्रकार कौन से हैं-शारीरिक, भावनात्मक/मनोवैज्ञानिक, सामाजिक-आर्थिक, यौन, शाब्दिक।
- हिंसा का दुश्चक्र क्या है और कौन सी बातें किसी को हिंसक तरीके से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती हैं।
- परिवार, समुदाय, समाज, तथा आर्थिकी पर लैंगिक हिंसा के प्रभाव।
- आपके देश में लैंगिक हिंसा से संबंधित आपके अधिकार कौन से हैं।
- लैंगिक हिंसा की घटनाओं पर प्रतिक्रिया के प्रमुख चरण कौन से हैं-चिकित्सकीय, कानूनी, सामाजिक, कानून प्रवर्तन।

लैंगिक हिंसा पर प्रतिक्रिया

लड़कियों को इस जानकारी से अवगत करें कि वे हिंसा की रिपोर्ट करने के लिए कहां जा सकती हैं। समर्थन प्रदान करने वाले संगठनों की सूची बनाना तथा स्थानीय संसाधनों व ऐसे संगठनों से संबंध या संपर्क स्थापित करना महत्त्वपूर्ण है।

ऐसा करें

- संसाधनों की सूची व संदर्भ नेटवर्क बनाएं, ताकि लैंगिक हिंसा की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया कि जा सके।
- यदि लैंगिक हिंसा आमतौर से पाई जाती हो तो कर्मचारियों को इससे निबटने के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण व कौशल प्रदान करें।
- लड़कियों के लिए सामाजिक परिसंपत्तियां और सुरक्षा योजनाएं बनाएं ताकि लैंगिक हिंसा को यथासंभव सर्वोत्तम ढंग से रोका जा सके।
- परिवारों व समुदायों के साथ कार्य करके लैंगिक हिंसा, इसके प्रभावों व इस बारे में जागरूकता बढ़ाएं कि यह मानवाधिकारों का उल्लंघन क्यों है।

ऐसा मत करें

- प्रतिक्रिया करने में बहुत ज्यादा देर न करें।

लैंगिक हिंसा, विशेषकर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के समाधान हेतु प्रमुख कदम

- मुद्दे को लेकर सतर्क रहें : सतर्क रहकर जोखिमग्रस्त महिला/लड़की की पहचान करें। पति/जीवनसाथी/पारिवारिक सदस्य जो नियंत्रणकारी व्यवहार दर्शाता हो, महिलाओं/लड़कियों को लगी ऐसी चोटें, जिनके कारणों का वे सही स्पष्टीकरण न दे पा रही हों, आदि हिंसा की पहचान के संभावित संकेत हो सकते हैं।
- प्रश्न पूछें : गोपनीयता बनाए रखकर तथा निर्णय न थोपने वाले भाव से प्रश्न पूछे जाने चाहिए। सीधे प्रश्न मदद नहीं करते। परिवार/पति/जीवनसाथी के सामने पूछताछ करने से दुर्व्यवहार की शिकार लड़कियों/महिलाओं के लिए जोखिम बढ़ सकता है।
- स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच संभव बनाएं : मामूली चोटों के लिए प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था करें। बड़े/गंभीर प्रभावों के मामले में, व्यथित महिलाओं/लड़कियों को उचित स्वास्थ्य उपचार इकाई पर भेजें और ज़रूरत हो तो साथ में जाएं।
- भावनात्मक सहायता दें : आश्वस्त करें कि 'दुर्व्यवहार में उसका अपना दोष नहीं है।' उसे अपराधबोध, क्रोध, शर्म, भय और अवसाद की अनुभूतियों से छुटकारा पाने में मदद दें। उससे उसके लिए व उसके बच्चों के लिए (जैसा भी मामला हो) सुरक्षित स्थानों या जगहों की पहचान करने के लिए कहें।
- कानूनी उपायों की जानकारी दें : कानूनी विकल्पों की जानकारी दें, जैसे कि प्राथमिक सूचना रिपोर्ट या घरेलू हिंसा की रिपोर्ट लिखवाना, PWDVA के तहत संरक्षण अधिकारी, बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत बाल विवाह निषेध अधिकारी, तथा जिलास्तर पर कानूनी सहायता केंद्रों के संपर्क विवरण। सहायक/संदर्भ संस्थानों की एक सूची रखें जो हिंसा की शिकार महिलाओं/लड़कियों के लिए सहायक सेवाएं उपलब्ध कराते हों।

लैंगिक हिंसा की रोकथाम के लिए प्रमुख कदम

- बंधुता विकसित करें : अन्य सामुदायिक समूहों जैसे कि ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति (VHSNC); ग्राम पंचायतों; महिला मंडलों; किशोरी मंडलों आदि से साझेदारियां कायम करें।
- मौजूदा फोरमों का उपयोग करें : मौजूदा फोरम जैसे कि मासिक PHC समीक्षा बैठकों में महिलाओं/लड़कियों के विरूद्ध हिंसा पर एक मुद्दे के तौर पर चर्चा करें; VHSNC द्वारा दहेज संबंधी दुर्व्यवहार, शिशुहत्या, सामाजिक लिंग आधारित लिंग चयन इत्यादि के बारे में संगठित अभियान आयोजित करें।
- समुदाय को शिक्षित करें और जागरूकता बढ़ाएं : किशोरवय व महिलाओं के साथ बैठकें आयोजित करके लैंगिक हिंसा व इसके प्रभावों पर चर्चा करें। ऐसी बैठकों में जेंडर आधारित मिथकों को दूर करने का प्रयास करें जैसे कि 'लड़कियां पराया धन होती हैं'; 'बाल विवाह किशोरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक तरीका है;' 'केवल लड़के ही बुढ़ापे का सहारा बन सकते हैं;'। महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के मुद्दे, तथा इससे जुड़े मिथकों का समाधान करें, जैसे कि 'पिटाई करना, प्यार जताने का ही एक तरीका है,' 'दुर्व्यवहार होने में कोई खास बात नहीं है और मेरा यही भाग्य है,', 'बलात्कार महिलाओं की गलती से होता है,' 'लड़कियों को यौन दुर्व्यवहार से बचाने के लिए उनका विवाह जल्दी कर दिया जाना चाहिए', इत्यादि।
- पुरूषों और लड़कों को शामिल करें: पुरूषों और लड़कों को समान साझेदार और सहयोगी बनाएं।

© Breakthrough/India

किशोरवय के अधिकारों का संरक्षण करने की दिशा में कार्य करने वाले राष्ट्रीय संदर्भ संगठनों/ संस्थावनों की सूची

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

http://ncpcr.gov.in/

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की स्थापना मार्च 2007 में बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005, एक संसदीय अधिनियम (दिसम्बर 2005) के तहत की गई थी। यह सुनिश्चित करना आयोग का कार्य है कि समस्त कानून, नीतियां, कार्यक्रम, तथा प्रशासकीय प्रणालियां, भारत के संविधान तथा संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधिपत्र में निर्दिष्ट बाल अधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप हों। बच्चे को 0 से 18 वर्ष आयु तक के व्यक्ति के रूप में पारिभाषित किया गया है। राज्य स्तर पर, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों की स्थापना की गई है।

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

http://ncpcr.gov.in/statecom.php

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना (राष्ट्रीय आयोग की तर्ज पर) यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि समस्त राजकीय कानून, नीतियां व कार्यक्रम, बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने वाले हों। इसके कार्य राष्ट्रीय आयोग के समान ही हैं। राज्य आयोगों की पूरी सूची देखें।

चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन (CIF)

http://www.childlineindia.org.in/

सीआईएफ को देश भर में चाइल्डलाइन सेवाओं की निगरानी व गुणात्मक विकास सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के सहयोग से नोडल संगठन के रूप में स्थापित किया गया। चाइल्डलाइन एक टोल फ्री टेलीफोन सेवा (1098) है, जिस पर कोई भी बच्चों के हित में कॉल कर सकता है। यह भारत भर में 540 साझेदार संगठनों के अपने नेटवर्क के माध्यम से 31 राज्यों व संघशासित क्षेत्रों में 291 शहरों/जिलों में कार्य करती है। इसने देश के विभिन्न शहरों में चाइल्डलाइन कार्यक्रम क्रियान्वियत करने वाले अपने साझेदार संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के न्यूनतम गुणवत्ता मानक विनिर्दिष्ट किए हुए हैं। यह किसी शहर में चाइल्डलाइन सेवा की शुरूआत से पहले पूर्वतैयारियों में भूमिका निभाता है। सीआईएफ बाल कल्याण से संबंधित प्रयास सुदृढ़ बनाने के लिए जागरूकता और जनपैरवी में भी शामिल है।

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

http://nipccd.nic.in/

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान जिसे NIPCCD के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है, यह एक प्रमुख संगठन है जो महिला एवं बाल कल्याण के समग्र क्षेत्र में स्वैच्छिक क्रियात्मक शोध (एक्शन रिसर्च), प्रशिक्षण तथा दस्तावेजीकरण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। नई दिल्ली में वर्ष 1966 में समितियों का पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत स्थापित यह संगठन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। देश में क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताएं पूरी करने के लिए, संस्थान ने एक समयावधि के दौरान चार क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी (1976), बंगलौर (1980), लखनऊ (1982) तथा इंदौर (2001) स्थापित किए। यह संस्थान, एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) कार्यक्रम के कार्यपालकों के प्रशिक्षण हेतु शीर्ष संस्थान के रूप में कार्य करता है। नोडल स्त्रोत एजेंसी के रूप में इसे एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) की नई योजना के तहत राष्ट्रीय व क्षेत्रीय स्तर पर कार्यपालकों के प्रशिक्षण तथा क्षमता-सृजन की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सार्क देशों हेतु बाल अधिकार तथा महिलाओं व बच्चों की तस्करी की रोकथाम के दो महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर प्रशिक्षण देने हेतु नोडल एजेंसी भी नामित किया गया है।

बाल अधिकार संरक्षण हेतु क्षेत्रीय/राजकीय/जिला और प्रखंड स्तरीय सरकारी निकाय (एकीकृत बाल संरक्षण योजना के तहत अधिदेशित)

क्षेत्रीय स्तर

- राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (NIPCCD) के चार क्षेत्रीय केंद्रों में बाल संरक्षण अनुभाग
- चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन (CIF) के चार क्षेत्रीय केंद्र

राज्य स्तर

- राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी (SCPS)
- राज्य दत्तकग्रहण स्त्रोत अभिकरण (SARA)
- राज्य बाल संरक्षण समिति (SCPC)
- राज्य दत्तकग्रहण सलाहकार समिति

जिला स्तर

- जिला बाल संरक्षण सोसाइटी (DCPS)
- जिला बाल संरक्षण समिति (DCPC)
- प्रायोजन एवं पालन-पोषण देखभाल अनुमोदन समिति (SFCAC)

प्रखंड और ग्राम स्तर

- प्रखंड स्तर बाल संरक्षण समिति
- ग्राम स्तर बाल संरक्षण समिति

संदर्भ

- स्रोतः लोरी एल. हेज, जैक्लीन पिटानगे व एड्रीन जर्मेन, वायलेंस अगेंस्ट वूमेनः दि हिडेन हेल्थ बर्डन, वर्ल्ड बैंक डिस्कशन पेपर नं.. 255, 1994
- एड्रेसिंग सेक्सुअल एंड जेंडर-बेस्ड वायलेंस (SGBV) अगेंस्ट एडोलसेंट गर्ल्स, प्रोमोटिंग हेल्दी, सेफ, एंड प्रोडक्टिव ट्रांजिशंस टू एडल्टहुड, ब्रीफ नं 38, पापुलेशन काउंसिल, मई 2011
- स्टेट ऑफ दि वर्ल्ड'स चिल्ड्रेन 2011, एडोलसेंस-एन एज ऑफ अर्पाचुनिटी, UNICEF
- अंडरस्टैंडिंग एडोलसेंट एम्पॉवरमेन्टः ए क्वॉलिटेटिव एक्सप्लोरेशन, पापुलेशन काउंसिल व UNICEF, जुलाई 2014
- जेंडर इक्वलिटी एंड वूमेन्स एम्पॉवरमेन्ट इन इंडिया, NFHS 2005-2006
- अर्ली मैरिजः ए हार्मफुल ट्रेडीशन, UNICEF, 2005
- ट्रेंड्स इन मैटर्नल मार्टेलिटी: 1990 से 2010; WHO, UNICEF, UNFPA तथा विश्व बैंक के अनुमान, मई 2012
- NFHS 3 (2005-2006)
- जेंडर इक्वलिटी एंड वूमेन्स एम्पॉवरमेन्ट इन इंडिया, NFHS 2005-2006
- नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS-3), 2005-06: इंडिया: खंड I, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पापुलेशन साइंसेज (IIPS) और मैक्रो इंटरनेशनल, मुम्बई, 2007
- जेंडर इक्वलिटी एंड वूमेन्स एम्पॉवरमेन्ट इन इंडिया NFHS 2005-2006
- स्रोतः क्राइम इन इंडिया, नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नई दिल्ली, 2013
- अंडरस्टैंडिंग एडोलसेंट एम्पॉवरमेन्टः ए क्वॉलिटेटिव एक्सप्लोरेशन, पापुलेशन काउंसिल व UNICEF, जुलाई 2014
- UNFPA स्ट्रेटेजी एंड फ्रेमवर्क फॉर एक्शन टु एड्रेसिंग जेंडर-बेस्ड वायलेंस 2008-2011
- स्रोतः लोरी एल. हेज, वायलेंस अगेंस्ट वूमेनः एन इंटिग्रेटेड इकोलॉजिकल फ्रेमवर्क, सेज पब्लिकेशंस 1998
- अधिक विवरणों के लिए पापुलेशन रिपोर्ट्स/चेंज में उद्धृत अध्ययन देखें, खंड XXVII, नं. 4, दिसम्बर 1999
- एडोलसेंट डेवेलपमेन्टः पर्सपेक्टिव्स एंड फ्रेमवर्क्स-ए डिस्कशन पेपर, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन्स फंड (UNICEF), न्यूयार्क, 2005
- NRC 2002
- एडोलसेंट डेवेलपमेन्टः पर्सपेक्टिव्स एंड फ्रेमवर्क्स-ए डिस्कशन पेपर, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन्स फंड (UNICEF), न्यूयार्क, 2005

टिप्पणी

टिप्पणी

टिप्पणी

टिप्पणी

breakthrough
human rights start with you

E-1A, First Floor, Kailash Colony, New Delhi 110 048, India
☎ 91-11-41666101 91-11-41666107

contact@breakthrough.tv

www.inbreakthrough.tv
/BreakthroughIN
@INBreakthrough

unicef
unite for children

73 Lodi Estate, New Delhi 110 003, India
☎ 91-11-24690401 91-11-24627521

newdelhi@unicef.org

www.unicef.in
/unicefindia
@UNICEFIndia